जनवरी 1972

मूल्य : 30 पैसे

कुरुक्षेत्र

जय जवान • जय किसान

पाकिस्तान पर "खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे" की कहावत लागू होती है। जब पाकिस्तान के फौजी शासक अपने ही घर में दुश्मन बन बैठे और उन्हें नजर आया कि काठ की हांडी दूसरी बार नहीं चढ़ाई जा सकती तो उन्होंने बौखला कर भले पड़ोसी को ललकारा ताकि वहां के लोगों को बरगलाया जा सके। उन्हें क्या पता था कि आराम करते हुए शेर को उकसाना कितना खतरनाक है। एक बार शेर जागा तो क्या उसे ललकारने वाला चैन से बैठ सकता है? यही गलती पाक कर बैठा और अब सिर धुन रहा है। बात कितनी मामूली थी। पूर्वी बंगाल के लोगों ने कुछ लोगों को वोट देकर जिताया। वे ही लोग शासन की बागडोर संभालने के हकदार थे पर फौजी शासकों को खतरा था कि पूर्वी बंगाल का खून जिसे पीकर वे मोटे हुए हैं कहीं मिलना बन्द न हो जाए। बस फिर क्या था, जनता के चुने हुए नेताओं को जेलों में ठूंस दिया गया और वहां की जनता को लाखों की संख्या में मौत के घाट उतारा गया और खिसियाने पाक ने भारत पर धावा बोल दिया।

अब हालत यह है कि पूरे भारत में कोई पार्टी नहीं रही—केवल एक पार्टी है जनता। हमारे लक्ष्य बंटे हुए नहीं है, हमारा इस समय केवल एक ही लक्ष्य है सांप के दांत तोड़ दिए जाएं ताकि दोबारा वह डसने की हिम्मत न करे। और अब हमारे रणबांकुरे जवानों ने पाक की हालत तपेदिक के उस मरीज जैसी कर दी है जिसके दो फेफड़ों में से एक फेफड़े ने काम करना बंद कर दिया हो और जिसके दूसरे फेफड़े में भी जगह जगह चकत्ते पड़ गए हों! क्या अब भी कोई हकीम इस खूनी कै करने वाले मरीज को मौत के जबड़े से खींचेगा, शायद नहीं!

हमारी दोनों सीमाओं पर खून की नदियां बही। जिस दिन के लिए वीर प्रसू माताओं ने बेटों को जन्म दिया था आज उसकी सर्थकता प्रदान करने का दिन आ गया। जवानों ने पाक को लंगड़ा बना दिया है—एक फेफड़े वाला तपेदिक मरीज हमारे जवानों की विजय-

संकट की बेला में बढ़ता जवान जागा किसान

वाहिनी के डर से लड़खड़ा गया—हालत यह है कि वह अब पूर्वी पाकिस्तान से हाथ धो बैठा। पर क्या सचमुच हमारे कर्त्तव्य की इतिश्री हो गई? नहीं—जवान मोर्चे पर लड़ा पर हमें अपना घर भी देखना है। आइए, जरा इन बातों पर गौर करें।

मोर्चे पर लड़ने वाला सोमदत्त, कर्नैल सिंह, अयंगर, बोस, अलताफ हुसैन, जोजेफ, थापा सभी ने अपनी जान

ब्रजलाल उनियाल

की बाजियां लगा दीं। इन सभी के बीबी बच्चे यहां है, मां बाप यहां है, भाई-बहन यहां है। इस देश की वे पवित्र धरोहर हैं। हमारा दायित्व इन सबकी तरफ है। किसान भाई के कोठे अनाज के भंडार से भरे हैं—दुकानदारों के गोदाम माल से अटे पड़े है। चीजों की कोई कमी नहीं है। अगर कमी है तो त्याग की भावना की। हम न तो अनाज दबाएं, न माल दबाएं—इनका लाना ले जाना बराबर चलता रहे। व्यापारी यह न सोचे कि लड़ाई शुरू हो गई। चलो मिट्टी के तेल, बैटरी के सेल, चीनी, अनाज या दवा दबा दूं, चार पैसे बचा लूं। यह भावना वास्तव में बड़ी अपावन है, घातक है, देशद्रोहिता की है। देश की मजबूरी से हम फायदा उठाएं, इससे ज्यादा कृतघ्नता क्या हो सकती है? उसका फालतू पैसा कितने दिन चलेगा, जरा वह सन 47 के इतिहास के पन्नों पर तो नजर डाले!

ग्रामसेवक गांव में किसान भाइयों को बताएं कि देश में अनाज की कोई कमी नहीं है फिर भी एक करोड़ शरणार्थियों और जवानों का अतिरिक्त दायित्व हमें निभाना है। इसलिए जमाखोरी हरगिज न करें। अगर हम अनाज दबाते हैं, मिट्टी का तेल दबाते हैं, आवश्यकता की चीजें दबाते हैं तो सच पूछिए हम, गद्दारी कर रहे हैं। जवान को धोखा दे रहे हैं। ऐसा हमें शोभा दे या न दे पर याद रखिए कि जिस मुल्क में खुदगरजी की खरपतवार पनपती है वहां की खुशहाली की लहलहाती फसल बरबाद हो जाती है। अपनी इस विजय फसल को पकने दो। अब न तो मंजिल दूर है और न उस तक पहुंचना नामुमकिन है।

किसान भाई अपने खेतों में अधिक से अधिक अन्न उपजाएं ताकि देश को

शेष आवरण पृष्ठ 3 पर]

मज़दूर मंज़िल

वर्ष 17 पौष 1893 अंक 3

इस अंक में

	पृष्ठ
पाकिस्तानी दरिन्दों के जुल्मों की कहानी	2
विकास के नए प्रयास **एस० एम० शाह**	5
पाकिस्तान ! अब तेरी खैर नहीं **डा० श्यामसिंह शशि**	8
हरा इन्कलाब (कविता) **'शामी' शरीफ कुरैशी**	10
युद्ध में किसानों का योग **प्रकाश नगाइच**	11
जवानों के लिए चाय की दुकानें	12
बंगला देश में जागरण की लहर **एस० एन० कश्यप**	14
भारत उवाच (कविता) **देवराज दिनेश**	16
नागरिक सुरक्षा और हवाई हमले से बचाव **त्रिलोकी नाथ**	17
युद्ध में ग्रामीण नर-नारियों के प्रयास **ब्रह्मदत्त स्नातक**	20
युद्ध और विकास **भगवानसिंह चन्देल 'चन्द्र'**	22
संकट की वेला में बढ़ता जवान जागा किसान **ब्रजलाल उनियाल**	कवर दो

दूरभाष 382406

एक प्रति 30 पैसे : वार्षिक चन्दा 3.00 रुपए

स० सम्पादक : महेन्द्रपाल सिंह

उपसम्पादक : त्रिलोकी नाथ

आवरण पृष्ठ : जीवन अडालजा

दुश्मन को घुटने टेकने पड़े

पाकिस्तान के शासकों की हीय माथे की फूट गई और जिन्हें वे अपना कहते थे उन्हीं के खून के प्यासे बन गए। बंगला देश में उनके नरसंहार की कहानी इतिहास में बेजोड़ है। आखिर पाप का घड़ा कभी न कभी फूटता तो है ही। लगता है, पाकिस्तान के शासकों की बुद्धि अपना सन्तुलन खो बैठी और और वे हमारी पावन बसुन्धरा पर भी हमला करने की जुर्रत कर बैठे। उन्हें क्या पता न था कि भारत कभी किसी को छेड़ता नहीं, वह स्वभाव से शान्तिप्रिय है पर एक बार उसे कोई छेड़ता है तो फिर वह उसे छोड़ता नहीं,। केवल दो सप्ताह के भयावह युद्ध में भारत के शूरमाओं ने अपने रुधिर से इतिहास में एक ऐसी अमिट शौर्य गाथा की सृष्टि की है कि भारत की भावी मानवता सदा ही उसका श्रद्धा और गौरव के साथ स्मरण करती रहेगी क्योंकि यह शौर्य गाथा मातृभूमि की रक्षा एवं हमारे राष्ट्र के महत्तम धर्म निरपेक्ष उद्देश्यों से अनुप्राणित हुई है। इस समय सम्पूर्ण उतुंग गिरि शृंगों में हमारी विजय दुन्दुभि बज रही है। सागर हिलोरे लेता हमारी नौशक्ति का यशोगान कर रहा है और भारतीय उप-महाद्वीप का समस्त आकाश हमारे हवाबाजों के रण कौशल की अभा से देदीप्यमान है। शत्रु के लगभग एक लाख सैनिक हथियार डाल चुके हैं और बंगला देश के निवासी, जो इन पाकिस्तानी दरिन्दों के जुल्म की भट्टी में तिल तिलकर जल रहे थे अब वहां के स्वतन्त्र आकाश के नीचे अमन और चैन की सांस ले रहे हैं।

युद्ध में शत्रु को घुटने टेकने पड़े और भारत विजयश्री से अलंकृत हुआ। इससे हमारे इतिहास में एक नया मोड़ आया है और लोगों में एक नया आत्म-विश्वास और दृढ़ संकल्प जग उठा है। युद्ध के दौरान अपने छोटे मोटे मतभेदों को भुलाकर हमने अपनी दृढ़ एकता का जो परिचय दिया वह हमारी राष्ट्रीय परपक्वता का द्योतक है। इस युद्ध के परिणाम से हमारी इस धारणा की पुष्टि हो जाती है कि अतीत में विदेशी हमलावरों ने जब कभी हम पर हमले किए और उस समय हमारी राष्ट्रीय एकता की कड़ी सुदृढ़ रही तो हमलवारों को मुंहकी खानी पड़ी और जब हमारी राष्ट्रीय एकता की कड़ी ढीली रही और हम आपसी फूट का शिकार रहे तो हमें बुरे दिन देखने पड़े। अतः हमें परस्पर मेल-मिलाप, प्रेम-मुहब्बत तथा साम्प्रदायिक सौमनस्य से अपनी राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ और सबल बनाए रखना होगा।

अब हम अपने को समझ गए हैं और अब दुनिया की कोई भी ताकत हमारी अनदेखी नहीं कर सकती और न अपना निर्णय हम पर थोप सकती है। जरूरत इस बात की है कि इस युद्ध से

शेष पृष्ठ 19 पर]

पाकिस्तानी दरिन्दों के जुल्मों की कहानी

25 साल पहले जब भारत आजाद हुआ तब से हमारी एक ही इच्छा, एक ही नीति, एक ही लक्ष्य रहा कि हमें शान्ति से अपने देश की तरक्की करने का, अपने देशवासियों की हालत सुधारने का, उनकी गरीबी दूर करने का मौका मिले। इसीलिए हमने सारी दुनिया और खासकर अपने सभी पड़ोसियों की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया। हम जानते थे कि सदियों की गरीबी, अन्याय और पिछड़ेपन को हम तभी दूर कर सकते हैं जब देश के अन्दर और बाहर शान्ति हो। इसीलिए हमने फौजी गुटबन्दियों से दूर रहने की कोशिश की और सुलह रखी। फिर भी हमें एक बार नहीं चार बार बिना किसी कारण के, देश के ऊपर आक्रमण का सामना करना पड़ा।

आज फिर हमारे देश के ऊपर एक अत्याचारी और बेरहम दुश्मन ने हमला किया। अमेरिका और चीन से मुफ्त में मिले हुए भयानक टैंक, तोप और हवाई जहाजों को लेकर वह खूनी जानवर की तरह हमारे देश की शान्तिप्रिय जनता पर टूट पड़ा। द्वेष और घृणा से वह इतना अन्धा हो रहा है कि उसे यह भी नहीं सूझता कि हर बार की तरह इस बार भी उसे मुंह की खानी पड़ेगी और गहरा नुकसान उठाना पड़ेगा।

आज से नहीं जब से पाकिस्तान कायम हुआ है उसकी नीति जोर जुल्म की रही है। उसके नेता फौजी तानाशाह हैं जो चंगेज और हलाकू के उत्तराधिकारी कहलाने में गर्व का अनुभव करते हैं। उन्हें भारत की ही नहीं अपने देश की जनता को भी कुचलने में कोई हिचक नहीं है। पाकिस्तान फौजी जनरलों की तानाशाही ने अपने देशवासियों की आजादी का गला घोंट दिया है। 25 वर्षों से पाकिस्तान की जनता चाहे पूर्व की हो चाहे पश्चिम की हो, फौजी तानाशाहों के बूटों के तले रौंदी जा रही है। बंगला देश की जनता का अपराध सिर्फ यही था कि वे जिन्दा रहने का हक चाहते थे। वे यही चाहते थे कि उनके साथ बराबरी का बर्ताव हो। उनको भी अपने देश के शासन में हिस्सा लेने का मौका मिले। उनके मुंह का कौर छीन कर पश्चिम पाकिस्तान के फौजी जनरलों और उनके चहेतों का पेट न भरा जाए। मगर पाकिस्तान के फौजी तानाशाह सिर्फ पशुबल में विश्वास करते हैं। बंगला देश की जनता की इन्साफ की मांग को उन्होंने तोप और बम के जोर से कुचलना चाहा। बंगला देश की निहत्थी जनता पर उन्होंने जो अत्याचार किया है उसके सामने चंगेज, हलाकू और हिटलर के अत्याचार फीके पड़ जाते हैं। पाकिस्तानी फौज के खूनी दरिन्दों से जान बचाने के लिए एक करोड़ बंगला देशवासियों ने अपने घर द्वार छोड़कर हिन्दुस्तान में शरण ली है। बहुतों ने तो अपनी आंखों के सामने अपने दुधमुंहे बच्चों की हत्या होती और अपनी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाते देखी है। पाकिस्तानी शासकों की चले तो वे भारत के लोगों की भी वही हालत करना चाहते हैं जो बंगला देश के लोगों की हुई है। पाकिस्तान के मदमत्त फौजी शासकों की निगाह में इन्सान की जिन्दगी और उसकी आजादी का कोई मूल्य नहीं। उनके लिए बंगला देश के लोग कीड़े-मकोड़ों के समान हैं।

मगर हम इन्सानियत को नहीं छोड़ सकते। हमारी दृष्टि में सबसे महत्व की चीज है मनुष्य और उसकी स्वतन्त्रता। इसीलिए हम पाकिस्तानी पशुबल का मुकाबला करने के लिए उठ खड़े हुए हैं। अपने देश की रक्षा के लिए, देश का बच्चा बच्चा अपनी जान की बाजी लगा देगा, क्योंकि हम सिर्फ अपने देश के लोगों की रक्षा के लिए ही नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि उन आदर्शों और मूल्यों के लिए लड़ रहे हैं जो हमारे जीवन के अंग हैं और जिनके ऊपर हमारे राष्ट्र की नींव है।

पाकिस्तान ने हमारे ऊपर यह हमला ऐसे वक्त किया है जब हम उन्नति के एक नए दौर में कदम रखने जा रहे थे। 1971 का वर्ष हमारे लिए आशा और उत्साह का सन्देश लेकर आया था। अकाल और अभाव की काली छाया हमारे सिर से दूर हो रही थी। हमारे खेत सोना उगल रहे थे। हमारी खेती की पैदावार इतनी अधिक हुई थी, जितनी पहले कभी नहीं हुई थी और भविष्य में हम और भी ज्यादा तेजी से उन्नति करने को तैयार थे। फरवरी में देश में जो आम चुनाव हुए, उसमें जनता ने इन्दिरा गांधी और उनके कार्यक्रम का पूरा समर्थन किया था। हम विश्वास के साथ अपनी आर्थिक और सामाजिक समस्याओं को सुलझाने के लिए आगे बढ़ रहे थे। मगर अगले ही महीने, मार्च में एकाएक सारी तस्वीर बदल गई। आप सभी जानते हैं कि मार्च में पाकिस्तान के पूर्वी भाग अर्थात् पूर्व बंगाल में भयानक घटनाएं घटीं, जिससे हमारे देश की सारी प्रगति खतरे में पड़ गई।

बंगला देश में जो कुछ हुआ उसे आप सब जानते हैं। 25 मार्च, 1971 को पश्चिम पाकिस्तान की फौजें बंगला देश की निहत्थी जनता पर भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़ीं और लाखों की संख्या में वहां के लोग जान बचाने के लिए भारत की ओर भागने लगे। तब से अब तक करीब एक करोड़ नर-नारी बंगला देश से भाग कर हमारे देश में शरण ले चुके हैं।

आपको मालूम है कि पाकिस्तान के ये दोनों भाग एक से एक मिले हुए नहीं हैं। उनके बीच में भारत का एक हजार मील का इलाका पड़ता है। पूर्वी बंगाल की जनसंख्या साढ़े सात करोड़ है जबकि पश्चिम की केवल छह करोड़। पाकिस्तान

की जनसंख्या का बहुमत पूर्वी भाग में है, मगर पाकिस्तान की सारी राजनीतिक, सैनिक और आर्थिक शक्ति, पश्चिम पाकिस्तान के लोगों के हाथ में है। वे लगातार 25 वर्ष से, जब से पाकिस्तान स्थापित पूर्वी बंगाल की जनता का दमन और शोषण करते रहे हैं। पूर्वी बंगाल की जनता इस अन्याय का लगातार विरोध करती रही और न्याय की मांग करती रही, किन्तु पश्चिम पाकिस्तान के खुदगर्ज शासकों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी।

सन् 1969 के मध्य में पाकिस्तान के फौजी शासक प्रेसीडेन्ट अयूब खां अपने पद से हटा दिए गए और उनकी जगह दूसरे फौजी जनरल यहिया खां ने ले ली। गद्दी पर आने के बाद उन्होंने एलान किया कि हम पाकिस्तान के दोनों हिस्सों में चुनाव कराएंगे जिसमें हर बालिग को वोट देने का हक होगा और जनसंख्या के मुताबिक पाकिस्तान के दोनों हिस्सों को असेम्बली में जगह दी जाएगी। पहली बार पाकिस्तान के लोगों को लोकतन्त्र का नाम सुनने को मिला और पूर्व बंगाल के लोगों को यह आशा बंधी कि इतने दिनों से जो अन्याय वे सहते आ रहे थे, उससे छुटकारा मिलेगा।

दो बार स्थगित होने के बाद, अंत में 1970 के दिसम्बर में पाकिस्तान में हुए चुनाव के नतीजों का पाकिस्तान की जनता ने स्वागत किया और कहा कि यह लोकतंत्र की जीत है। प्रान्तीय असैम्बलियों की कुल 313 जगहों में से 169 जगहें पूर्वी पाकिस्तान असेम्बली के हिस्से में आई थीं और उनमें से 167 जगहों पर शेख मुजीबुर्रहमान की पार्टी अवामी लीग की जीत हुई। पूर्वी पाकिस्तान की असेम्बली की 98 प्रतिशत सीटों पर कब्जा करने के साथ ही, मुजीबुर्रहमान की पार्टी को पाकिस्तान की राष्ट्रीय असेम्बली में भी पूरा बहुमत प्राप्त हुआ। वाजिब था कि चुनाव में जीत होने के बाद शेख मुजीबुर्रहमान की पार्टी को पाकिस्तान की सरकार बनाने का न्यौता दिया जाता और वह पूरे पाकिस्तान के प्रधान मंत्री बनते।

शेख मुजीबुर्रहमान की अवामी लीग ने 6 मुद्दों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें पूर्वी पकिस्तान को ज्यादा खुद मुख्तार बनाने और पूर्वी भाग के साथ होने वाले अन्याय को खतम करने की मांग थी।

लेकिन चुनाव के नतीजों से पाकिस्तान के शासकों का तख्त हिल गया। उन्होंने देखा कि इससे पूर्वी पाकिस्तान उनके पंजे से निकल जाएगा। वे भला अपने हाथ से ताकत कैसे जाने देते? इसलिए पहले तो बहाना बनाकर उन्होंने असेम्बली की बैठक रोके रखी और शेख मुजीबुर्रहमान से बातचीत और समझौता करने का ढोंग रचकर जनरल याहिया खां चुपके-चुपके पूर्व बंगाल में पश्चिमी पाकिस्तान से फौजें भेजते रहे। जब तैयारी पूरी हो गई, तो पश्चिमी पकिस्तान की फौजें 25-26 मार्च की रात को एकाएक पूर्व बंगाल की साढ़े सात करोड़ जनता पर टूट पड़ीं। निहत्थी जनता पर पश्चिमी पाकिस्तान के सैनिकों ने जो जुल्म ढाए उनके सामने हिटलर का जुल्म भी फीका पड़ गया।

अवामी लीग के नेता शेख मुजीबुर्रहमान को पकड़ लिया गया और अब भी वे पश्चिमी पाकिस्तान की कैद में हैं। उनके ऊपर फौजी अदालत में गुप्त रूप से मुकदमा चलाया गया। उनके ऊपर जो जुर्म लगाया गया उसकी सजा मौत है। पूर्वी बंगाल के सारे अखबार बन्द कर दिए गए, सारे विदेशी संवाददाता वहां से निकाल दिए गए और जनता के सारे नागरिक अधिकार छीन लिए गए। अन्तर्राष्ट्रीय रेड क्रास को भी वहां न जाने दिया गया ताकि पश्चिमी पाकिस्तान की फौज द्वारा निहत्थी जनता पर जो लोमहर्षक अत्याचार किए जा रहे थे उनकी भनक दुनिया को न लगने पाए। सैकड़ों स्त्री, पुरुष, बूढ़े और बच्चे गोली से उड़ा दिए गए। स्त्रियों पर बलात्कार किया गया। नगर के नगर और गांव के गांव जला दिए गए, लाखों बंगाली इस कत्लेआम के शिकार हुए। नतीजा वही हुआ जो होना था। जान बचाने के लिए, लाखों की तादाद में अपना घर-बार और सारा सामान छोड़कर लोग भारत की ओर भागे। अप्रैल के अन्त तक दस लाख बंगाली शरणार्थी भारत में आ गए और एक ही महीने में अर्थात् मई के अन्त तक, उतकी संख्या चालीस लाख हो गई। हर रोज हजारों की तादाद में लोग भागे चले आ रहे थे।

जून के अन्त तक साठ लाख बंगाली भारत आ चुके थे और अब तक उनकी संख्या एक करोड़ पहुंच गई है। इतिहास में इतनी बड़ी संख्या में लोगों के अपना घर-बार छोड़कर दूसरे देश में भागने की मिसाल नहीं मिलती। इन अभागे शरणार्थियों को खिलाने-पिलाने में हर रोज़ हमें तीन करोड़ रुपये से भी ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। जो रुपया हम देश की गरीबी दूर करने में लगाने वाले थे, उसे शरणार्थियों की प्राणरक्षा में लगाना पड़ा और इससे हमारे विकास के काम को गहरा धक्का पहुंचा।

कुछ लोगों का कहना है कि हमने क्यों इन शरणार्थियों को देश में आने दिया। मगर हम इन्हें रोकते कैसे? क्या पाकिस्तानी पशुओं से जान बचाकर भागते हुए बूढ़े, बच्चे और और औरतों को हम गोली से भून देते। क्या कोई भी सभ्य देश ऐसा कर सकता है? भारत तो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता। हम मनुष्यता के पुजारी हैं। इसीलिए हमने लोकतन्त्र के रास्ते को चुना है, क्योंकि इसमें मनुष्य की आत्मा मुक्त रह सकती है। वह अपना सिर ऊंचा करके चल सकता है। हम चाहते तो डंडे के जोर पर जनता को हांक कर, उसे भूखा मारकर बहुत तेजी से अपने देश में कलकारखाने खड़े कर सकते थे। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि हम मनुष्यता को कुचलने के बजाए, थोड़ी धीमी प्रगति को ज्यादा अच्छा समझते हैं। हमारे राष्ट्र की यह हमेशा से बात रही है कि हमने अपनी शरण में आनेवालों को अभय दिया है। इसलिए हमारे लिए यह सम्भव

न था कि अपने दरवाजे बन्द कर देते और लाखों आदमियों को मौत का शिकार होने को छोड़ देते।

इसलिए हमने अपनी जनता पर बोझ डालकर और कष्ट उठाकर, बंगला देश के इन अत्याचार पीड़ित नर-नारियों को भोजन, वस्त्र और आश्रय दिया। चन्द दिनों में ही लाखों आदमियों के रहने के लिए बड़े-बड़े शिविर खड़े कर दिए गए, जहां इनको खाना, कपड़ा, दवा, आदि देने का इन्तजाम किया गया। मगर साथ ही हमने बार-बार यह स्पष्ट रूप से कह दिया कि हम केवल मनुष्यता के नाते इनको थोड़े दिनों के लिए शरण दे रहे हैं, और शीघ्र ही इन्हें अपने देश वापस जाना होगा।

बंगला देश के इन शरणार्थियों को अपने देश को लौटना ही होगा। मगर जबकि वहां अत्याचार का नंगा नाच हो रहा हो, और हर रोज हजारों आदमी वहां से जान बचाकर भाग रहे हों, तब इन शरणार्थियों से कैसे आशा की जाए कि वे लौटकर मौत के मुंह में जाएंगे। मौखिक आश्वासनों से उनको भरोसा नहीं हो सकता। 21 मई को जनरल याहिया खां ने शरणार्थियों से वापस आने की अपील की। लेकिन इसके बाद से पचास लाख और शरणार्थी वहां से आ गए। शरणार्थी तभी वापस जाएंगे, जब उनको भरोसा हो जाएगा कि वे शान्ति से वहां रह सकेंगे, उनकी लूटी हुई जर जमीन उनको वापिस मिल जाएगी और उन पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा।

हमको और सारी दुनिया के सभ्य लोगों को भी यह आशा थी कि पाकिस्तान के फौजी शासकों को समझ आएगी और बंगला देश पर जो भारी अन्याय और जुल्म उन्होंने किया है, उसका वे प्रायश्चित्त करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यह आशा व्यर्थ हुई। पाकिस्तान के अत्याचारी शासकों ने संसार के कहने-सुनने की कोई परवाह न की और उसी तरह पूर्व बंगाल की असहाय जनता पर वे जुल्म ढाते रहे। अपने काले कारनामों पर परदा डालने के लिए उन्होंने उलटे भारत पर झूठे दोष लगाने शुरू किए। उनके झूठे और बेशर्म प्रचार ने नाजी जर्मनी को भी मात दे दी। बंगला देश के प्रश्न पर पर्दा डालने के लिए उन्होंने यह दोष लगाया कि भारत ने पाकिस्तान के घरेलू मामले में हस्तक्षेप किया है। झूठ की हद तब हो गई जब उन्होंने इस बात से भी इन्कार किया कि इतनी बड़ी संख्या में बंगला देश के शरणार्थी भारत में गए। इसके साथ ही उन्होंने भारत को जेहाद और बरबादी की धमकी देनी शुरू की। धमकी देकर ही वे चुप न रहे। उन्होंने अपनी फौजें भारत की सीमा पर जमा कर दीं और भारत के गांवों पर गोला बरसाने लगे। उनके हवाई जहाजों ने भारत के ऊपर उड़ना शुरू कर दिया।

ज्यों-ज्यों बंगला देश में स्थिति बिगड़ने लगी और पाकिस्तानी तानाशाहों को अपना अन्त नजर आने लगा, उनका दुस्साहस बढ़ता गया और आखिर याहिया खां ने हिन्दुस्तान पर हमला कर ही दिया और हमारे हवाई अड्डों पर पाकिस्तानी विमानों ने आक्रमण कर दिया। पाकिस्तान के शासक इतने दिनों से हिन्दुस्तान को जो युद्ध और बरबादी की धमकी देते आ रहे थे, वह अब सामने आ गई। पाकिस्तान के शासकों ने पहले बंगला देश की जनता पर आक्रमण किया और बाद में हमारे ऊपर।

हमने हरचन्द कोशिश की थी कि युद्ध न हो। क्योंकि युद्ध में हमारा धन-जन बरबाद होता है और देश की उन्नति का काम रुक जाता है। मगर देश की रक्षा का काम सबसे जरूरी है। जब देश ही नहीं रहेगा तो उन्नति तरक्की कैसे होगी।

जब-जब भारत पर संकट आया यहां के लोग सारे मतभेद भुलाकर एक होकर उसका मुकाबला करने के लिए खड़े हो गए। इस बार भी हमने इसी एकता का परिचय दिया है। संसद में दूसरे दलों के सारे नेताओं ने एक स्वर से सरकार को अपना पूरा समर्थन दिया और यह कहा कि संकट की घड़ी में सारा देश एक है। देश में केवल एक दल है, और एक ही नेता है, हमारी प्रधान मन्त्री। देश की रक्षा के हमारे अटल संकल्प का यह एक परिचय है। हम शान्ति प्रेमी हैं, पर हमें देश की आजादी सबसे प्यारी है। वर्षों तक संघर्ष करके अगणित बलिदान देकर हम खून की एक-एक बूंद बहा देंगे और अपना सब कुछ देश पर न्यौछावर कर देंगे। इसके पहले भी कई बार हम पाकिस्तान के दांत खट्टे कर चुके हैं। सबसे पहले सन् 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया। दूसरी बार सन 1965 में उसने कच्छ पर हमला किया। इस समझौते की स्याही भी सूखने नहीं पाई थी कि फिर तीसरी बार उन्होंने छम्ब-जोड़ियां के इलाके में भारी हमला किया। लेकिन तीनों बार हमने आक्रमणकारी को सीमा से ही पीछे धकेल दिया और वे देश के ज्यादा अन्दर न घुसने पाए।

इस बार का हमला पहले के सब हमलों से भिन्न है। इस बार हमारी आजादी खतरे में थी। हमारे जो आदर्श और सिद्धान्त हैं, हमारी सारी जिन्दगी जिस आधार पर खड़ी है, जिन लक्ष्यों के लिए हम काम कर रहे हैं, हमारा सारा भविष्य और हमारे राष्ट्र का अस्तित्व, सब कुछ खतरे में था। हमने भी सब दांव पर लगा दिया।

क्या हम अपने प्यारे देश को, अपनी सभ्यता की अनमोल धरोहर को, अपनी हस्ती को, अपनी आजादी और अपने भविष्य को नष्ट हो जाने देते? हरगिज नहीं। देश का बच्चा-बच्चा देश की आजादी को बचाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा सकता है। देश की रक्षा का मुख्य भार हमारी सेना और हमारी सरकार पर है, साथ ही हमारा भी कुछ कर्त्तव्य है। जब तक हम में से हरेक आदमी देश की रक्षा के लिए अपना जोर नहीं लगाता, हम इस युद्ध को जीत नहीं सकते थे।

इस संकट की घड़ी में हम जो कुछ

शेष पृष्ठ 7 पर]

विकास के नए प्रयास

भारत में सामुदायिक विकास आन्दोलन शुरू करने का मुख्य उद्देश्य एक उन्नतिशील ग्रामीण ढांचा तैयार करना था। बीस साल पहले जब सामुदायिक विकास आन्दोलन आरम्भ किया गया था तो इसे गांवों के सामाजिक और आर्थिक जीवन में परिवर्तन करने का एक तरीका बताया गया था। राज्यों को कृषि, सहकारियों के विकास, ग्रामोद्योग, बुनियादी शिक्षा, ग्रामीण जल प्रदाय और ग्रामीण क्षेत्रों में जन शक्ति के पूरे उपयोग की छः बातों के आधार पर खण्ड और जिला योजनाएं तैयार करने के लिए कहा गया। ग्रामीण क्षेत्रों में रहन-सहन की दशा में सुधार लाने की दिशा में सामुदायिक विकास को प्रत्येक व्यक्ति का सहयोग अपेक्षित था। पंचायती राज की स्थापना से एक संस्थात्मक ढांचा तैयार हुआ, जिससे लोगों की प्रसुप्त शक्तियों को उपयोगी दिशा में लगाना सम्भव हो सका।

सामुदायिक विकास आन्दोलन का एक बड़ा काम खण्ड को विकास की इकाई बनाना रहा है। इससे जरूरी प्रशासन तन्त्र उपलब्ध हो गया जिसका प्रमुख खण्ड विकास अधिकारी होता है और अन्य कार्यकर्त्ताओं में समाजशिक्षा व्यवस्थापक, ग्रामसेवक और दूसरे विस्तार एजेण्ट होते हैं। यह ठीक है कि गांव एक छोटी और संगठित इकाई है पर विकास की आधुनिक प्रकल्पना के अनुसार विकास सभी दिशाओं में होना चाहिए और बहुमुखी विकास के लिए आवश्यक साधन और शक्ति जुटाने में गांव असमर्थ हैं। ग्राम संगठन ऐसे जरिए उपलब्ध कराएं जिनसे हर खेत या हर घर से वहां के समाज के सभी लोगों को वस्तुएं पहुंचती रहें। अर्थशास्त्री इसे पिछड़ेपन और प्रगतिशीलता के बीच की कड़ी मानते हैं। बाजार और सेवा केन्द्र, मण्डियों और छोटे शहर आदि का विकास करके इन्हें अधिक उपयोगी और कारगर बनाया जा सकता है। तभी क्षेत्र का समैकित विकास सम्भव है।

समैकित क्षेत्र विकास की परिकल्पना में दो प्रकार का समैकीकरण है— क्रियात्मक और क्षेत्रीय तथा यह दोनों परस्पर सम्बन्धित हैं। क्रियात्मक समैकीकरण में वे सभी आर्थिक और सामाजिक क्रियाएं आती हैं जो लोगों के जीवन, उनके काम और उनके स्थान को प्रभावित करती हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम ने इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक समैकित प्रशासन तन्त्र स्थापित किया है। हां, इस क्रियात्मक समैकीकरण की क्षेत्रीय प्रकृति को सामुदायिक विकास कार्यक्रम पूरी तरह नहीं समझ पाया। ग्रामीण विकास अलग से नहीं हो सकता। इसे शहरी विकास के साथ

एस० एम० शाह

जोड़ना होगा। शहरों, कस्बों, और गांवों के इस सम्बन्ध को ठीक से नहीं जाना गया। क्रियात्मक समैकीकरण की सफलता की उन क्षेत्रों में अधिक सम्भावना रहती है जहां बहुतायत में सामाजिक और आर्थिक सुविधाएं सुलभ हैं।

अनेक देशों के अनुभव से यह बात साफ हो चुकी है कि विकास प्रक्रिया चयन पर आधारित होती है। यह पहले उन क्षेत्रों में होती है जो इसके सबसे अधिक अनुकूल हों। यह सभी स्थानों पर एक साथ नहीं होती बल्कि अनुकूल स्थानों पर पहले होती है और फिर परिस्थितियों के अनुसार अन्य स्थानों की ओर बढ़ती है। जिन स्थानों या बिन्दुओं से विकास की प्रक्रिया अन्य स्थानों की ओर बढ़ रही है उन्हें संगम बिन्दु कहते हैं। यही बिन्दु विकास केन्द्र कहलाते हैं। समाजशास्त्रियों और भूगोल शास्त्रियों द्वारा विकसित केन्द्रीय स्थान का सिद्धान्त ही विकास केन्द्रों की क्रिया का मूल आधार है। डब्ल्यू० क्रिस्टैलर के अनुसार किसी स्थान की केन्द्रीय स्थिति से ही उस स्थान का महत्व मापा जाता है। ये केन्द्र अक्सर इस तरीके से क्षेत्र के बीच में बनाए जाते हैं कि उत्पादकों और विक्रेताओं को अधिकाधिक लाभ मिले और उपभोक्ताओं को कम से कम कीमत देनी पड़े। इन केन्द्रीय स्थानों में भी एक तारतम्य है। अधिक महत्वपूर्ण स्थान अधिक महत्व के कार्य करते हैं। जो कार्य इन अधिक महत्वपूर्ण स्थानों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं उन्हें अधिक क्षेत्रों तक पहुंचा दिया जाता है और इस प्रकार ये कम महत्व के केन्द्रीय स्थानों की अपेक्षा अधिक क्षेत्र पर प्रभाव रखते हैं। ऐसे स्थान कम हैं और दूर-दूर हैं। इसका अर्थ यह है कि अधिक महत्वपूर्ण स्थानों के अधीन ज्यादा व्यापार क्षेत्र है। केन्द्रीय स्थानों का भी एक सिलसिला है जो सबसे अधिक महत्व के स्थानों से लेकर कम महत्व के स्थानों तक चलता है।

यू० डी० ए० बलावे योजना में निम्नलिखित बातें शामिल हैं :—

1. खरीदे आदानों, उपभोक्ता वस्तुओं, उत्पादन और विपणन के लिए सहकारियों की स्थापना,
2. उपज की सार सम्भाल (भण्डारण, चयन, भराई करने और लाने ले जाने) के लिए एक ढांचा तैयार करना,
3. विस्तार सेवाओं में तेजी लाना,
4. लोगों और सामान आदि के इधर-उधर आने जाने से होने वाली हानि को रोकना,
5. सिंचाई और विकास की सुविधाओं

की व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाना,

6. सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का समुचित लाभ उठाना, और
7. मकानों को मौसम और भवन निर्माण शिल्प की दृष्टि से सर्वोत्तम तरीके से बनाना।

नई नीति

अभी हाल में भारत में हरित क्रान्ति के फलस्वरूप हुए भारी कृषि उत्पादन से ग्रामीण आयोजन के क्षेत्र में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। भण्डारण, परिवहन और ऋण आदि की सुविधाओं में अब काफी कमी महसूस हो रही है। कृषि का अधिक उत्पादन आर्थिक विकास में सहायक होता ही है। अत: उन क्षेत्रों में जहां विकास की सम्भावनाएं मौजूद हैं, इस प्रक्रिया को बल मिलना चाहिए। हरित क्रान्ति विकास केन्द्रों के बिना सफल नहीं हो सकती। इसलिए जरूरी है कि विकास के उन पहलुओं का अध्ययन किया जाए जो इस कार्य में सहायक सिद्ध हो सकते हैं और जो समुदाय के आर्थिक विकास में तेजी ला सकते हैं। उमूलन, सभी बन्दोबस्त ऐसे होने चाहिए जो मनुष्य की दैनिक आवश्यकताएं मुहैया करने में समर्थ हो सकें, लेकिन ये सुविधाएं तभी कारगर हो सकती हैं जबकि बढ़ती हुई आबादी पर अंकुश रखा जाए। विकास केन्द्रों की प्रायोगिक अनुसन्धान परियोजना का उद्देश्य इन क्रियात्मक खामियों का पता लगाना और आवश्यक सुविधाओं को उचित स्थान पर उपलब्ध कराना है। यही ग्रामीण विकास की नई नीति है।

कई अध्ययनों से पता चलता है कि केन्द्रीय स्थानों और इस पर निर्भर क्षेत्रों के आपसी सम्बन्ध यातायात और संचार सुविधाओं के परिणाम हैं। सामुदायिक विकास के राष्ट्रीय संस्थान द्वारा 1969 में किए गए मिरयालगुड़ा अध्ययन से यही पता चलता है कि ये सारे सेवा केन्द्र अच्छी सड़कों पर बने हुए थे। हाल में केन्या के तटीय क्षेत्र में फ्रेजर टेलर द्वारा किए गए विकास केन्द्रों के अध्ययन के भी यही परिणाम थे। कई अन्य विद्वानों ने भी यही तथ्य खोजा है कि क्षेत्र की केन्द्रीय स्थिति और वहां की जनसंख्या में परस्पर गहरा सम्बन्ध है।

बुल्गारिया, फ्रांस, हंगरी, इजराइल, पोलैण्ड, और पश्चिम जर्मनी आदि देशों में विकास केन्द्रों को ग्रामीण आयोजन का उपकरण बनाने कि दिशा में प्रयोग में लाया गया है। विकास योजनाओं में केन्द्रीय स्थान के सिद्धान्त को सबसे ज्यादा पूर्वी यूरोप में अपनाया गया है। यूगोस्लाविया में स्लोवानिया के समेकित विकास के लिए क्रियात्मक समेकीकरण का तरीका अपनाया गया है। केन्या के तटीय क्षेत्र में 1970-74 की भौतिक विकास योजना में आन्दोलन को गांवों से कस्बों की ओर ले जाने तथा विकेन्द्रीयकरण करने के लिए विकास केन्द्र चलाने की नीति अपनाई गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी सेवाएं विकास केन्द्र में ही केन्द्रित होंगी और ये विकास केन्द्र व्यापार, समाज सेवाओं और प्रसार के केन्द्र होंगे। इससे लोगों की देशान्तरण की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी और राष्ट्र का अधिकाधिक विकास सम्भव हो सकेगा। इस नए ढांचे के निर्माण के लिए केवल विकास केन्द्रों में ही धन लगाया जाएगा और अन्य प्रकार से सेवा सुविधाओं के विकास आदि के प्रयासों को प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा।

दक्षिणी लंका में यू० डी० ए० बलावे परियोजना, जिस पर 1969 में आर० वीट्ज ने रिपोर्ट तैयार की थी, क्षेत्रीय आधार पर बन्दोबस्ती आयोजन के लिए संगठित गांवों के सिद्धान्त को मानती है। इस नई योजना को ग्रामीण विकास का सबसे ठीक तरीका माना गया है। इस योजना में उत्पादन और समुदाय के समाजिक विकास के बारे में सहायक प्रणाली और सुविधाओं के लिए सुझाव भी शामिल हैं। भौतिक सुविधाएं और सहायक प्रणाली तथा सामाजिक और सामुदायिक विकास खुद वांछित आर्थिक विकास करने में समर्थ नहीं पर आर्थिक विकास के लिए पहले इनका होना जरूरी है।

प्रायोगिक अनुसन्धान परियोजना का उद्देश्य एक ऐसी अनुसंधान प्रणाली बनाने का है जिससे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार सक्षम विकास केन्द्रों का विकास किया जा सके। इन केन्द्रीय स्थानों में क्रियात्मक खामियों को पूरा करने का भी सुझाव है जिससे इन क्षेत्रों का अधिकतम विकास किया जा सके। इस बात को ध्यान में रखते हुए विभिन्न राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में स्थित इन बीस बुनियादी क्षेत्रों में से प्रत्येक में 20 अनुसन्धान और अन्वेषण सैल स्थापित किए गए हैं। मन्त्रालय द्वारा स्वीकृत बीस बुनियादी क्षेत्र ये हैं :—

1. सतेनपल्ली (आन्ध्र प्रदेश) 2. पानीटोला (असम) 3 तुरकौलिया (बिहार), 4. थानेश्वर (हरियाणा) 5. अथियानूर और नेमम (केरल) 6. सीहोर (मध्य प्रदेश) 7. बासमत (महाराष्ट्र) 8. भोइ (मेघालय) 9. हरिहर (मैसूर) 10. आस्का (उड़ीसा) 11. चमकौर साहिब-माजरी (पंजाब), 12. सुवाना (राजस्थान), 13. नमक्कल (तमिलनाडु), 14. कादीपुर (उत्तरप्रदेश) 15). मेमारी (पश्चिम बंगाल) 16. तलाला (गुजरात क्षेत्रीय आयोजन संस्थान, अहमदाबाद) 17. सेलू (क्षेत्रीय विकास आयोजन संस्थान, वर्धा) 18. गाजीपुर (गांधी अध्ययन संस्थान, वाराणसी) 19. विशालगढ़ (त्रिपुरा) और 20 पांडिचेरी।

संक्षेप में ये अनुसन्धान सैल चुने हुए सामुदायिक विकास खण्डों के संसाधनों का सर्वेक्षण करेंगे और उनकी आर्थिक स्थिति का पता लगा कर उसके अनुसार एक ऐसा कार्यक्रम तैयार करेंगे जिससे जरूरी ढांचा तैयार हो सके और जीवन की आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। इसके लिए दो दौरों में आंकड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं। पहला दौर लगभग

नौ महीने की अवधि का होगा और इसमें 'खण्ड प्रश्नावली,' खण्डों में स्थित कस्बों के लिए 'कस्बा प्रश्नावली' और 200 से अधिक की आबादी वाले गांवों के लिए 'बड़े सेवा गांवों की प्रश्नावली' भरी जाएंगी। 'खण्ड प्रश्नावली' में खण्ड की बुनियादी विशेषताओं और वहां की विकास गतिविधियों के बारे में विस्तृत सूचना इकट्ठी करने के लिए पांच सबसे महत्वपूर्ण विपणन केन्द्र, गोदाम, शीत भण्डारगृह और सहकारियों को चुना गया है। इस बात का भी पता लगाया गया है कि गांवों में थाना, डाकघर, उच्च विद्यालय, औषधालय, स्वास्थ्य केन्द्र, चलचित्र गृह, युवक क्लब, पुस्तकालय, ऋण सहकारियों, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, उर्वरक और बीज डिपो और पेट्रोल पम्प आदि की सुविधाएं हैं या नहीं। कस्बे की प्रश्नावली में उन गांवों के बारे में सूचना दर्ज की जाती है जो चुने हुए कस्बों के द्वारा उपलब्ध कराई जानेवाली सुविधाओं का लाभ उठाते हैं। बड़े सेवा गांव न तो गांव हैं न कस्बे हैं बल्कि इनसे कुछ ऐसी सेवाओं के बारे में सूचना इकट्ठी की जाती है जिनके द्वारा इन पर निर्भर गांवों का इनके साथ कारोबार चलता है।

क्षेत्र के गांवों का दौरा करने और प्रश्नावली पूरी करने के बाद एक अध्ययन क्षेत्र प्रपत्र तैयार किया जाता है जिसमें सारी सूचनाओं के सहित बुनियादी क्षेत्र का व्यापक चित्र होता है। खण्ड के कस्बों की सीमाओं से लगे क्षेत्रों का भी अध्ययन किया जाता है।

अधिकतर सैलों ने 1971 में काम शुरू कर दिया है। उड़ीसा, केरल और उत्तरप्रदेश में सैल अगस्त, 1970 में स्थापित किए जा चुके थे जबकि महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान और मैसूर में सैल दिसम्बर, 1970 में स्थापित किए गए। पांडिचेरी और पश्चिम बंगाल में परियोजना अधिकारियों की नियुक्ति सितम्बर 1971 में ही की गई। इन दो सैलों में काम तेजी पकड़ रहा है। चूंकि पहले दौर के काम के लिए सामग्री कई सैलों से जुटाई गई है, अतः केरल, मैसूर, गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान, और उत्तर प्रदेश सरकारों से कहा गया था कि जिन क्षेत्रों में ढांचे की स्थापना बहुत जरूरी है वहां विकास कार्यक्रम फौरन तैयार किए जाएं। आंकड़ों का विश्लेषण किया जा रहा है और तुरन्त कार्यान्वित किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में परियोजना रिपोर्ट दिसम्बर, 1971 के अन्त तक तैयार हो जाएगी। खण्ड स्तर पर इन रिपोर्टों का अध्ययन परियोजना स्तरीय समन्वय समिति करेगी और बाद में सभी राज्यों में राज्य स्तरीय समन्वय समिति इन निष्कर्षों का अध्ययन करेगी। जैसे-जैसे काम पूरा होगा अन्य सैलों में भी इसी प्रकार काम किया जाएगा। गांवों, दुकानों, और फर्मों, कुटीर और अन्य उद्योगों तथा घरों से अधिक विस्तृत आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे। दूसरे दौर के इन आंकड़ों के आधार पर पहले दौर के आंकड़ों से निकाले गए निष्कर्षों में सुधार किया जा सकेगा। तब खोजद्वारा पाई गई क्रियात्मक खामियों को दूर करने के लिए समुचित व्यवस्था तैयार हो जाएगी।

विकास कार्यक्रम को लागू करने के लिए आर्थिक समस्या तो अवश्य आएगी। चुने हुए खण्डों में अन्य विभिन्न योजनाओं के लिए दी गई राशि को इस मद में लगाया जा सकेगा। विभिन्न जिलों में चल रहे "लीड बैंकों" को यह देखना होगा कि विकास केन्द्रों के उत्पादन कार्यों को समुचित ऋण उपलब्ध होता रहे। चूंकि चुने हुए बुनियादी क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों के बारे में रिपोर्टें तैयार हो जाएंगी अतः जरूरी है कि इन क्षेत्रों को विशेष प्राथमिकता दी जाए। फिर ये सही मायनों में "विकास केन्द्र" होंगे। भारत का औद्योगिक विकास बैंक कुछ दीर्घावधि परियोजनाओं को वित्तीय सहयोग दे सकेगा। इसके अलावा ढांचे के निर्माण में आनेवाली कठिनाइयों के लिए स्कीम में 72.65 लाख रु० का प्रावधान है।

इस प्रकार विकास केन्द्रों की प्रायोगिक अनुसन्धान परियोजना विकास के लिए आधार तैयार करेगी और ग्रामीण विकास के लिए ऐसा नया तरीका सुझाएगी जिससे शहरी क्षेत्रों से गांवों के समुचित सम्बन्धों को पहचाना जा सकेगा। समग्र देश में आर्थिक विकास को अपनाया जा सकेगा। ●

पाकिस्तानी दरिन्दों के जुल्मों की कहानी..... [पृष्ठ 4 का शेषांश]

देश को दे सकते थे, दिया, जो कुछ बलिदान और त्याग कर सकते थे, किए। हमने अब तक जितनी मेहनत की है उससे भी कड़ी मेहनत करनी होगी। खेतों में, कारखानों में, दफ्तरों में, स्कूलों और कालेजों में, सब जगह हमें जी-जान से काम करना है। इस समय हम जो कुछ करेंगे, उसका सौ गुना मीठा फल हमें मिलेगा। अटल संकल्प, धीरज और आत्मविश्वास से ही हम इस संकट को झेल सके। हमें उत्तेजना और आतंक में नहीं पड़ना चाहिए और अपनी शक्ति को बरबाद नहीं करना चाहिए। हमें इस समय, अपनी नहीं सोचना चाहिए, सारे देश की सोचना चाहिए। इस समय अपने आराम, और फायदे का ख्याल करना देश के साथ विश्वासघात होगा। अगर हम मुनाफाखोरी और जमाखोरी करेंगे तो इससे देश रक्षा के प्रयत्न में बाधा पड़ेगी और लोगों का हौसला टूटेगा। अगर हम अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा करना चाहते हैं, तो हमें उसके लिए जो भी बलिदान देना पड़े, देना होगा। हमें अन्न का एक-एक दाना, एक-एक पैसा, एक-एक चीज बचाना होगा और उसे देश की रक्षा के लिए लगाना होगा। हमें देश पर बोझ नहीं बनना है, बल्कि देश के बोझ को उठाना है। इस समय एक-एक गांव, एक-एक घर रणक्षेत्र है और एक-एक आदमी सिपाही है।

पाकिस्तान ! अब तेरी खैर नहीं

[पाकिस्तान ने हमारे देश पर धोखे से अचानक और अकारण हमला बोल दिया। हम सदा से ही शान्ति के हामी रहे हैं पर अब जब उसने बंगला देश में मार पर मार खाकर हमारी पवित्र भूमि की ओर निगाह डाली तो हम उसे मजा चखाकर ही रहे। उसे छठी का दूध याद आ गया। दुनिया जानती है कि 1965 के युद्ध में उसे किस तरह मुंह की खानी पड़ी थी। उस समय तो हमने उसे क्षमा कर दिया था पर अब हम कहें देते हैं कि अब की बार उसकी खैर नहीं।

आज की युद्ध कला में छापामार युद्ध का विशेष महत्व है और पूर्वी मोर्चे पर छापामार युद्ध के तरीकों द्वारा मुक्तिवाहिनी के सैनिकों ने पाकिस्तानी दरिन्दों को किस तरह तहस-नहस किया इसका विवरण इस लेख में प्रस्तुत है। लेख में छापामार युद्ध की गतिविधियों पर प्रकाश डाला गया है।]

डा० श्याम सिंह शशि

पच्चीस मार्च 1971 के दिन जब पश्चिम पकिस्तान के दरिन्दों ने पूर्वी बंगाल में निहत्थे लोगों को गोलियों और मशीनगनों से भूनना शुरू किया तो वे अपने सीमित साधनों तथा असीमित मनोबल के साथ इन नरपिशाचों से लोहा लेने के लिए डट गए और छापामार युद्ध का सहारा लिया। आज स्थिति यह है कि वे पूर्वी बंगाल पर अपना अधिकार कर चुके हैं।

25 मार्च 1971 को तानाशाह याहिया खां ने जब अपनी सेनाओं को बंगला देश में दमन, लूट, अत्याचार और बलात्कार की खुली छूट दे दी तो ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स के बंगाली सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। उनके प्यारे नेता शेख मुजीबुर्रहमान को याहिया खां की सरकार ने कैद कर लिया है। बेगुनाह जनता पर गोले बरसाए जा रहे थे। बंगला देश की जनता त्राहि त्राहि कर रही थी। निहत्थे लोग अत्याचारियों के जुल्म सह रहे थे।

पूर्वी बंगाल से हिन्दू, मुसलमानों तथा सभी धर्मों के लोगों को जब घर छोड़ने को विवश कर दिया तो वे भारत की ओर शरण लेने को चल पड़े। पता नहीं कितने लोग रास्ते में मारे गए और कितने भूख प्यास से दम तोड़ गए।

स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों ने मुक्ति फौज तैयार की। बाद में उसे मुक्तिवाहिनी के रूप में विकसित किया गया। शुरू में करीब 70 हजार मुजाहिद और अंसार थे जो सिर्फ लाठी चलानेवाले थे। वे भिन्न भिन्न तरीकों से मुक्तिवाहिनी की मदद करते थे। अब बहुत से मुजाहिद और अंसार बन्दूक चलाना सीख गए हैं। सबको छापामार तथा गुरिल्ला युद्ध का प्रशिक्षण दिया गया है। उन्हें छापामार युद्ध की ट्रेनिंग देना इसलिए कठिन नहीं हुआ क्योंकि मेजर जिया, कैप्टन नवाजिश या दूसरे मुक्तिवाहिनी के सैक्टर कमांडर चीनियों द्वारा युद्ध में प्रशिक्षित किए जा चुके थे।

बंगला देश के सीमांत क्षेत्र में एक ऐसी ही आंखों देखी घटना का उल्लेख किसी पत्रकार ने किया है। उसका कहना है कि बंगला देश के एक सीमांत क्षत्र में जो कि बंगाल की भारतीय सीमा से मिला हुआ था, मुझे काफी खतरा उठाकर नजदीक से लड़ाई देखने का अवसर मिला। मैंने देखा कि खाकी कमीज और लुंगी में रेंगते हुए आगे बढ़कर मुक्तिवाहिनी के सैनिक हल्की मशीनगनों और राइफलों से पाकिस्तानी सिहाहियों के एक जत्थे पर कैसे हमला कर रहे थे। पीछे हटते हुए उनमें से तीन की जानें गईं लेकिन चार घायलों को वे अपने साथ लादकर ले जाने में कामयाब हुए। दुर्भाग्य से एक मशीनगन वहीं छूट गई थी। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तानियों की निगाह उस पर नहीं पड़ी।

नवीनतम प्राप्त रिपोर्टों से पता चला है कि करीब 4 मास से मुक्तिवाहिनी पूर्णतया व्यवस्थित है। बांगला देश सरकार के मुख्यालय मुजीबनगर के मुख्यकेन्द्र से अपना सीधा सम्पर्क बनाए हुए हैं। बांगला देश की राजधानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर तैरते हुए बदलते रहना पड़ता है ताकि नदियों की बाढ़ का पानी उनके कार्य संचालन में बाधक न बन सके।

मुक्तिवाहिनी में लगभग 40 हजार छापामार हैं जिनमें अधिकांश स्कूल, कालेज के विद्यार्थी हैं या ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स के सैनिक हैं।

इन्स्टीट्यूट फार डिफेन्स स्टडीज के निर्देशक श्री के० सुब्रह्मण्यम का अनुमान था कि उन दिनों पूर्वी बंगाल में याहियाखां की सरकार का काम नाममात्र को ही चल रहा था। पाकिस्तान के हमलावर शाम को अपनी छावनियां छोड़कर बाहर नहीं निकल सकते थे, क्योंकि उन्हें भय था कि झाड़ी से कोई मुक्ति सैनिक आकर उन्हें शूट न कर जाए।

लगभग नब्बे लाख से ऊपर शरणार्थियों को भारत में धकेल कर पाक हमारी अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न करना चाहता था। उसने पहले ही अपने छापामार तथा जासूस भारत में भेज रखे थे। बंगला देश की राजनैतिक समस्या उसका सिरदर्द बनी हुई थी। शायद उस दर्द को दूर करने के लिए उसे यह चाल अच्छी

लगी। कितने ही मासूम बच्चों, निहत्थे स्त्री-पुरुषों को सरेआम कत्ल कर दिया गया। जो कुछ बचे उन्हें भारतीय सीमा में धकेल दिया। लेकिन क्या वह यह सब करके कपट नीति में सफल हो गया? नहीं, कदापि नहीं। हम इस विषम परिस्थिति में एक होकर फिर अपनी सीमाओं पर डट गए। रक्त की अन्तिम बून्द तक शत्रु का मुकाबला किया और शान्ति के सिपाहियों ने विजय प्राप्त की।

अस्तु! हम अपने पाठकों को उस छद्म युद्ध के बारे में परिचय कराना चाहेंगे जिसके बल पर पाकिस्तान ने हमें ही नहीं बल्कि अन्य पड़ोसी देशों को भी परेशान किया था। उसे सैन्य विशेषज्ञ छापामार अथवा गुरिल्ला युद्ध के नाम से पुकारते हैं। यहां हम इस प्रकार के युद्ध के उद्भव विकास एवं उसके विभिन्न रूपों का वर्णन करेंगे ताकि भविष्य में इस प्रकार की चालों से भलीभांति परिचित होकर हम स्वयं भी सावधानी बरत सकें तथा समय पड़ने पर बहादुरी से शत्रु का मुकाबला कर सकें।

छापामार युद्ध का विधिवत् श्रीगणेश यदि कहीं हुआ तो वह है चीन की भूमि। वहां छापामार, गुरिल्ला लड़ाई आदि कई प्रकार के दक्ष युद्धों का प्रशिक्षण दिया जाता था। युद्ध में साम, दाम, दण्ड भेद ही पर्याप्त नहीं समझा गया बल्कि अनीति, अत्याचार तक को युद्ध का अंग बनाया गया। माओ-त्से-तुंग ने कहा है—एक संग्राम के बाद दूसरे संग्राम द्वारा युद्ध लड़ा जा सकता है। शत्रु के टुकड़े टुकड़े किए जा सकते हैं। छापामार युद्ध लम्बा हो सकता है लेकिन यह एक प्रकार से कई समस्याओं का हल होता है। सैन्य साहित्य में शत्रु को एक एक करके कुचलने की क्रिया छापामार युद्ध के अन्तर्गत आती है। वास्तव में इस युद्ध की विशेषता आक्रामक शक्ति है जो नियमित युद्ध की तुलना में अधिक

प्रभावी रूप में पाई जाती है।

अधिकतर इतिहासकारों का मत है कि अढ़ाई हजार वर्ष पूर्व चीनी राजाओं ने छापामार युद्ध शुरू किए थे। किन्तु यह देखकर आश्चर्य होता है कि कन्फ्यूशस सुनत्सू, मोतीह, दानफी, च्वांग चो, सून्मा तान और सून्मा ची इन जैसे चीनी सन्तों ने कभी इस युद्ध की चर्चा तक नहीं की। ये सन्त छठी शताब्दी ई० पूर्व चीन में थे। वास्तव में यह भी अनुसन्धान का ही विषय है कि चीन को इस दिशा में अगुआ माना जाए या किसी और देश को। क्या महाभारत में भी अभिमन्यु को चक्रव्यूह जैसे किसी छापामार युद्ध में तो नहीं मरवाया गया था? यह सैन्य शोधार्थियों के समक्ष एक प्रश्न चिन्ह है।

छापामार युद्ध एक ऐसी कला है जिसमें कमजोर दल अधिक शक्तिशाली शत्रु के साथ लड़ता है। वस्तुतः छापामार सैनिक भी होता है तो असैनिक भी। यह लक्ष्य प्राप्ति के लिए युद्ध का सहारा लेता है। इसलिए कई बार शत्रु दलों में भी वह जाकर मिल जाता है और मौका देखकर अपने दल की सहायता करता है। छापामार सैनिकों में शिक्षक तथा नायक भी नियमित रूप से रखे जाते हैं। किन्तु उन सभी को छापामार सैनिक के नाम से जाना जाता है।

माओ और च्यांग काई शेक के युद्ध में च्यांग के सैनिक हजारों की संख्या में आत्मसमर्पण कर देते थे। बन्दी होने पर वे माओ की सेना में ले लिए जाते थे। कई बार इनमें से अनेक सैनिक छापामार टोलियों में भरती हो जाते थे। इसका परिणाम यह होता था कि शत्रु के सैनिक भी अपनी छापामार टोलियों में स्वयंसेवक बनकर भरती हो जाते थे। एडवार स्नो ने "रेडस्टार ओवर चाइना" में लिखा है कि छापामार युद्ध 'पारटीजन वार फेयर' (पक्षतापूर्ण युद्ध) का पर्याय है। आटोहाइल बुन भी छापामार और 'पारटीजन वारफेयर' में बहुत कम भेद बताते हैं। उन्होंने युगोस्लाविया के मोहालियोंविच छापामार दल और टीटो समर्थक दल में बहुत थोड़ा अन्तर माना है। यूगोस्लाविया में दो दल बन गए थे। एक था मोहालियोविच का और दूसरा कम्युनिस्ट पार्टी के महामन्त्री टीटो का। एक अजीब बात है कि अनेक राष्ट्रों

ने टीटो के दल को सैन्य महानता प्रदान की। यही कारण था कि उसे सफलता मिली। उसकी छापामार कार्यकुशलता का परिणाम सबके सामने आया। टीटो पक्के शासक बन गए।

पक्षपातपूर्ण युद्ध और छापामार युद्ध का लक्ष्य एक होते हुए भी उनमें मूलभूत अन्तर रहता है। लेनिन ने कहा है कि पक्षपातपूर्ण युद्ध एक प्रकार की डकैती है जो छोटी-छोटी टोलियों के माध्यम से की जाती है। यह एक सशस्त्र विद्रोह नहीं है जबकि छापामार पद्धति में लगातार युद्ध चलता रहता है। जब तक दुश्मन हार नहीं मानता, लड़ाई का क्रम बन्द नहीं होता।

छापामार युद्ध के लिए मुख्य रूप से भारी वस्तुओं की आवश्यकता होती है—ऊबड़ खाबड़ भूमि, पिछड़े हुए ग्रामीण इलाके, दुर्गम आवास स्थल तथा स्थानीय लोगों की सहानुभूति। चीन में इन सब बातों का अभाव नहीं था। इसलिए वहां छापामार युद्ध के नए नए हथकण्डे खोजे गए। चीन से सटे वियतनाम की छापामार लड़ाई तो सर्वविदित है ही। वास्तव में यह इलाका कभी हिन्दचीन कहलाता था जिसमें पांच देश थे—लाओस कम्बोडिया, टांगकिन, अनाम और कोचीन चीन। चीन ने इन देशों पर कई बार आक्रमण किया और शासन भी किया। कालान्तर में फ्रांस भी उधर पहुंचा और पांचो देशों का शासक बन गया। आज उसमें चार देश बन गए हैं। उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम, लाओस और कम्बोडिया। उत्तरी वियतनाम दक्षिणी वियतनाम को मिलाकर एक शक्तिशाली देश बनना चाहता है।

उत्तरी वियतनाम छापामारों का युद्ध सितम्बर 1963 में शुरू हुआ था और बरसों तक लगातार चलता रहा। छापामारों के केन्द्र प्रायः जंगलों और पहाड़ों में थे। उत्तर लाओस और वियतमिन्ह के छापामारों ने मिलकर मध्य लाओस में आक्रमण कर दिया।

माओ ने एक स्थान पर लिखा है कि छापामार और जनता मछली तथा जाल के समान हैं। वियतनाम में छापामार लड़ाई संगठित रूप में होती रही है। टोलियों ने डिवीजनों का रूप ले लिया है। इण्डोचीन के इस गृह युद्ध से पता चला है कि छापामारों को विदेशी नेतृत्व की आवश्यकता नहीं होती।

कुछ विद्वानों ने छापामार युद्ध के लिए निम्नलिखित तथ्यों को आवश्यक माना है—

1. रणक्षेत्र की भूमि का पूरा ज्ञान होना चाहिए।
2. जिन रास्तों से रक्षा हो सके उनकी देखभाल होनी चाहिए।
3. जनता के सहयोग के बारे में पूरा पूरा ज्ञान होना चाहिए। यदि जनता के पास खाद्य सामग्री का अभाव है तो छापामारों को अपना क्षेत्र बदल लेना चाहिए।
4. युद्ध वाले इलाके में छापामारों को सुविधाएं मिलनी चाहिए।
5. अन्य रास्तों के बारे में पूरा ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए तथा उनकी सुरक्षा भी होनी चाहिए।
6. छापामारों का संचालन ठीक प्रकार से होना आवश्यक होता है। कुछ छापामारों को रिजर्व फोर्स के लिए रखना चाहिए तो कुछ छापामार घायलों को ले जाने के काम में लगाए जाने चाहिए।

जनरल वान न्यू एन व्याप लिखते हैं—"युद्ध को चलाने में संग्राम की कलाओं को समुचित अनुपात में रखना पड़ता है। शुरू में हमें छापामार कार्रवाई करनी पड़ती है तथा उनका क्षेत्र भी बढ़ाना होता है। संयम के साथ साथ यही लड़ाई अनवरत युद्ध के रूप में परिणत हो जाती है। नवीन और उच्च स्थिति में छापामार युद्ध को सफलता मिलने लगती है।"

1965 में पाकिस्तान ने कश्मीर में कुछ छापामार भेजे थे। लेकिन पाकिस्तान की चाल चल नहीं सकी। छापामार युद्ध में कम खर्च और शत्रु को अधिक हानि पहुंचाने का ध्येय होता है। लेकिन पाकिस्तान की बड़े पैमाने पर हानि हुई। उसके लगभग अढ़ाई टैंक डिवीजन नष्ट अथवा क्षतिग्रस्त हुए, अनेक विमान ध्वस्त हो गए और कश्मीर में घुसे हुए घुसपैठियों को चुन कर मार दिया गया। अतः उनका छापामार युद्ध कामयाब नहीं हुआ। वैसे पाकिस्तान मुजाहिदों को भी कश्मीर भेजता रहा है लेकिन स्थानीय जनता ने उन्हें महानुभूति नहीं मिल सकी। अतः असफलता ही हाथ लगी।

हरा इन्कलाब

'शामी' शरीफ कुरैशी

दिन की चढ़ती धूपों में निखरा इन्कलाब !
गांव-गांव जा पहुंचा हरा-हरा इन्कलाब !
सज उठे रे, हल कुदाल,
तेज है हलों की फाल,
सूरज की किरणों के संग उतरा इन्कलाब !
खेतों-खलिहानों में,
मेड़ों-मैदानो में,
शबनम की बूंदों-सा है बिखरा इन्कलाब !
गेहूं के दानों में,
भोले दहकानों में,
इस मिट्टी की खुशबू बन के भरा इन्कलाब !
दूर-दूर खेतों में,
नदियों की रेतों में,
पुरवा के साथ-साथ नग्मासरा इन्कलाब !
बारिश-ओ-नदी-नहर,
जीत रहा खेतीहर—
दुपहर की धूपों में सुनहरा इन्कलाब !

युद्ध में किसानों का योग

प्रकाश नगाइच

आज से लगभग आधी सदी पहले बापू ने कहा था, "भारत गांवों में बसता है।" बापू का यह कथन आजादी के पच्चीस साल बाद भी उतना ही सही है जितना आज से आधी सदी पहले था। आजादी के बाद के इन पच्चीस सालों में कई बड़े-बड़े नगर बसे। पुराने नगरों और कस्बों की आबादी अंधा-धुंध बढ़ी फिर भी गांव की जन-संख्या का सत्तर प्रतिशत भाग आज भी गांवों में बसता है।

भारत के गांवों ने अनादि काल से देश के धार्मिक, सामाजिक और राजनैतिक क्षेत्रों में सबसे आगे बढ़कर भाग लिया है। भारतीय गांव अनादि काल से भारतीय अर्थ-व्यवस्था की रीढ़ रहे हैं और आज भी हैं। देश के बहुमुखी औद्योगिक विकास के बावजूद इस वाक्य में फेर-बदल की अभी तक कोई गुंजाइश नहीं है।

शहरों और कस्बों की तड़क-भड़क और आधुनिक सुख-सुविधा के साधनों से भरी जिन्दगी से दूर गांव का सीधा-सादा किसान देश की अर्थ-व्यवस्था की रीढ़ ही नहीं देश की सुरक्षा-व्यवस्था का आधार स्तम्भ भी है। हल की मूठ पर सधे उसके फौलादी हाथ उसी कुशलता और उसी मजबूती से राइफल और मशीनगन भी संभाल लेते हैं। अगर भारत की समूची सेना में काम करने वाले सैनिकों के आंकड़े जुटाए जाएं तो उनमें नब्बे प्रतिशत सैनिक ग्रामवासी ही मिलेंगे।

सन 1965 के पाकिस्तानी आक्रमण में गांवों में पले-बढ़े इन सैनिकों ने मातृ-भूमि की रक्षा के लिए जिस साहस और वीरता से दुश्मन से टक्कर ली और केवल टक्कर ही नहीं ली बल्कि उसकी सीमा में घुस कर दुश्मन की सेना को कई मील दूर तक खदेड़ते चले गए। भीख में मिले दुश्मन के पैटन टैंकों और सेबर जैट विमानों को धूल में मिला दिया, ऐसी वीरता और साहस के उदाहरण विश्व इतिहास में कम ही मिलते हैं।

देश सबका है। भले ही वह शहर में रहने वाला हो, कस्बे में रहने वाला हो या ठेठ गांव का निवासी हो। दफ्तर में काम करने वाला बाबू हो, फैक्टरी में काम करने वाला मजदूर हो या धरती की छाती चीर कर अन्न उगाने वाला किसान हो। देश की तरक्की, भलाई और सुरक्षा की जिम्मेदारी सभी पर है। और ऐसी बात नहीं, जब भी देश पर कोई संकट आया है देश के हर नागरिक ने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभाई है। अंग्रेजों की गुलामी से देश को आजाद करने की लड़ाई में गांव के किसान-मजदूरों ने जी-तोड़ हिस्सा लिया। भारत विभाजन के बाद जब पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान से भारत में लाखों शरणार्थियों के आ जाने और देश की उपजाऊ धरती का बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चले जाने के कारण अनाज की विकट समस्या सामने आई तो भारतीय किसान देश की इस सबसे विकट और प्रमुख समस्या को हल करने में जी-जान से जुट गए और उन्हीं के अनथक परिश्रम का परिणाम है कि कल तक बिदेशों के आगे मुट्ठी भर अन्न के दानों के लिए झोली पसारने वाला भारत खाद्यान्न उगाने में आज आत्मनिर्भर ही नहीं हो गया बल्कि उसके अन्न भंडार भरते चले जा रहे हैं।

सन 1965 की लड़ाई में करारी हार खाने के बाद पाकिस्तान ने फिर भारत पर शर्मनाक हमला किया। पाकिस्तान का यह शर्मनाक हमला शुक्रवार 3 दिसम्बर को नहीं हुआ बल्कि इसी साल के मार्च महीने से हुआ जब उसने अपने ही एक भाग पूर्वी बंगाल में जनतांत्रिक सिद्धान्तों का गला घोंटकर वहां के मूल निवासियों को अपने बर्बरता पूर्ण चंगेजी अत्याचारों की पराकाष्ठा कर भारत में शरण लेने पर मजबूर करके भारतीय अर्थ-व्यवस्था और शान्ति को छिन्न-भिन्न करने की नाकाम कोशिशें की। लेकिन देश ने पाकिस्तान की इस मक्कारी भरी चाल का साहस और धीरज के साथ मुकाबिला किया और न तो भारत का आर्थिक ढांचा ही रत्ती भर डगमगाने पाया और न ही भारत की शान्ति भंग हुई। बल्कि भारतीय नागरिकों ने उन लाखों बेघरबार निराश्रितों का जी खोल कर स्वागत किया जो पाकिस्तानी तानाशाही के बर्बरता पूर्ण अत्याचारों के शिकार हुए थे।

अपनी इस मक्कारी भरी चाल में करारी मात खाने के बाद पाकिस्तान ने युद्ध की घोषणा किए बिना शुक्रवार 3 दिसम्बर की रात को भारत के कई हवाई अड्डों और शहरों पर धोखे से हवाई हमला कर दिया। लेकिन भारतीय जवान सो नहीं रहे थे। उन्होंने दुश्मनको मींड कर रख दिया और उसे आत्म समर्पण कर देना पड़ा। जवानों ने दुश्मन के कई हजार वर्गमील भारतीय इलाके पर कब्जा कर लिया है और बंगला देश को मुक्ति दिला दी है। इतनी बड़ी सफलता

पाने वाले और दुश्मन को छठी का दूध याद दिला देने वाले जवान कौन हैं ? वही जो भारत के अनगिनत गांवों की धूल भरी गलियों में खेल-कूद कर पले-बढ़े हैं। जिनके अंग अंग से लिपटी उस धूल ने उन्हें अपने देश की धरती से प्यार करना सिखाया है। उसकी रक्षा के लिए मर मिटना सिखाया है। गांव के सीधे-सादे शान्ति भरे वातावरण में जिनकी जवानी ने आंखें खोली हैं और संघर्षों से जूझना सीखा है। सदियों से गांवों में रहने वाले और धरती की छाती चीर कर अन्न उगाने वाले किसानों के ये बेटे ही भारतीय सेना के वे बहादुर जवान हैं जिन पर देश जितना भी गर्व करे थोड़ा है।

गांवों में रहने वाले किसानों के बेटे देश की सीमा और सम्मान की रक्षा के लिए जान की बाजी लगाते हैं तो उनके पीछे गांवों में रहने वाले किसानों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ पड़ी है। दुश्मन ने उन्हें एक चुनौती दी जिसका उन्होंने मुंहतोड़ उत्तर दिया और देश पर जबर्दस्ती थोपी गई इस लड़ाई तथा दुश्मन की मक्कारी भरी चालों का उसी तरह साहस वीरता, दृढ़ता और धैर्य से मुकाबिला किया जिस तरह सन 1965 में किया था।

●

जवानों के लिए चाय की दुकानें

पश्चिमी भाग के सीमावर्ती क्षेत्रों में लोगों ने जवानों के लिए जो मुफ्त चाय की दुकानें लगाई वहां से जो चाय का प्याला उन्हें दिया जाता था, उससे उनकी भारी थकान उतर जाती थी और उनका चित्त प्रसन्न हो जाता था। उनमें यह ताजगी मात्र चाय की एक प्याली से नहीं बल्कि जिस स्नेह से वह प्याली दी जाती थी उससे आती थी। जहां भी सैनिक जाते थे वहां पर स्थानीय लोग उनसे अनुरोध करते थे कि वे ऐसी चाय की दुकान पर अवश्य आएं।

सीमावर्ती शहरों की भीड़ भरी गलियों में तथा पंजाब के देहाती इलाके के हरे-हरे खेतों के बीच जवानों के लिए इस प्रकार की चाय की दुकानों का दिखाई पड़ना एक आम बात रही। इसके साथ ही इन दुकानों पर अलग-अलग पोस्टर लगे थे जिन पर लिखा था 'बहादुर जवानो ! हमें आप पर गर्व है,' 'बहादुर जवानो ! सारा राष्ट्र आपके साथ है'। वास्तव में प्रत्येक चाय की दुकान का अपना एक अलग सा पोस्टर था।

इन दुकानों का संचालन लोगों द्वारा स्वेच्छा से दिए गए धन से होता था तथा लोग इन्हें चलाने के लिए अपनी सेवाएं भी अर्पित करते थे और इसके साथ ही अधिकतर लोग इन दुकानों पर दिन-रात स्वयं काम भी करते रहे।

चाहे चाय एक सीमित मात्रा में पी जा सकती है और जवान भी ज्यादा नहीं पी सकते थे फिर भी सड़क के किनारे चाय की इतनी दुकानें बनी हुई थी कि यदि जवान किसी भी एक दुकान पर पूछे जाने पर चायपान न करता तो भी चाय पीने के लिए उसके साथ जिद्द की जाती। एक चाय की दुकान के संचालक, अधेड़ आयु के सिख ने एक सैनिक गाड़ी को रोका और उन्हें चाय पीने के लिए आमंत्रित किया। उसने जवानों से कहा कि आप इस चाय को अवश्य पीएं क्योंकि यह 'इलायची वाली चाय' है।

प्रगति लेकिन...

कारण जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास के लाभ समाप्त हो जाते हैं

★ 1960-61 के मूल्यों पर

बंगला देश में जागरण की लहर

[कल तक भारतीय उप महाद्वीप का जो क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था अब वह बंगला देश के रूप में प्रख्यात ही नहीं हो गया है बल्कि एक सुनिश्चित अस्तित्व में आ गया है। पाकिस्तान के तानाशाह याहिया खां ने जनतन्त्र का ढोंग रचकर पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान में चुनाव कराए। पूर्वी बंगाल के सर्वप्रिय नेता शेख मुजीबुर्रहमान की आवामी पार्टी इन चुनावों में भारी बहुमत से विजयी हुई। जब जनता के चुने हुए नुमाइन्दों को सत्ता सौंपने का समय आया, पाकिस्तान के तानाशाह याहिया खां और श्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने पैंतरा बदल दिया और बजाए सत्ता सौंपने के पूर्व बंगालियों के लोकप्रिय नेता शेख मुजीबुर्रहमान को जेल में डाल दिया। इससे पूर्वी बंगाल की जनता में बेचैनी फैल गई और "बंगला देश" का नारा लगा। इस बेचैनी को दबाने के लिए पाकिस्तानी तानशाह की सेना ने निरस्त्र जनता पर गोले बरसा कर भूनना शुरू कर दिया। दूसरी ओर एक करोड़ लोगों को जिन्हें वह अपने कहता था, बंगला देश से निकालकर भारत में धकेल दिया और अपनी सेनाएं भारत की सीमाओं पर तैनात कर दीं। पर कभी न कभी तो पाप का घड़ा भरता ही है। आज ये नरपिशाच भारतीय सेना के आगे कायरतापूर्वक शस्त्र डाल चुके हैं। बंगला देश के सम्पूर्ण भाग पर भारतीय समरवाहिनी और बंगलादेश की मुक्तिवाहिनी का अधिकार हो चुका है और अब ढाका में मुक्तिवाहिनी का झण्डा लहरा रहा है।]

एस० एन० कश्यप

1969 में फील्ड मार्शल अयूब खां से शासन-सूत्र ग्रहण करने के बाद पाक राष्ट्रपति जनरल याहिया खां ने राष्ट्रीय असेम्बली के गठन और जनप्रतिनिधियों को शासन सौंपने की जो बात कही थी, उसे पूरा करने का जब अवसर आया तो वे मुकर गए। अवामी लीग के नेता शेख मुजीबुर्रहमान ने जिस 6 सूत्रीय कार्यक्रम के आधार पर राष्ट्रीय असेम्बली के लिए चुनाव में भाग लिया था उसमें पूर्वी पाकिस्तान की आन्तरिक स्वतंत्रता की मांग भी शामिल थी। 313 सदस्यों की राष्ट्रीय असेम्बली के चुनाव में शेख मुजीबुर्रहमान के नेतृत्व में गठित अवामी लीग ने केवल दो सीटों को छोड़कर 167 पर कब्जा किया जब कि पश्चिमी पाकिस्तान में मियां जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व में गठित पीपुल्स पार्टी ने 84 सीटों पर कब्जा जमाया। शेष सीटें अन्य कई दलों के बीच विभाजित हुई। मियां भुट्टो के बहकावे में आकर जब जनरल याहिया खां ने 3 मार्च, 1971 को आयोजित असेम्बली की बैठक 1 मार्च, 1971 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी तो पूर्वी पाकिस्तान का सोया हुआ ज्वालामुखी स्वतः भड़क उठा।

जनरल याहिया खां द्वारा राष्ट्रीय असेम्बली के सहसा स्थगित किए जाने के फलस्वरूप "जय बांगला देश" के नारे तथा गान के साथ सारे पाकिस्तान में स्वतंत्र बंगला देश की स्थापना के लिये आन्दोलन प्रारम्भ हो गया। इसका समर्थन मौलाना भाषानी, और अताउर्रहमान जैसे पूर्वी-पाकिस्तान के नेताओं ने तो किया ही पश्चिमी पाकिस्तान में सीमा प्रान्त और बलूचिस्तान के नेताओं ने भी किया। शेख मुजीबुर्रहमान ने बंगला देश की मुक्ति के लिए जिस आन्दोलन का समारम्भ किया उसके प्रथम चरण में हड़ताल, बन्द, असहयोग आदि का आयोजन हुआ किन्तु फौज ने जब निर्दोष जनता पर गोली चलाकर लगभग 2,000 आदमियों को मार दिया तो मुजीबुर्रहमान ने छः सूत्रीय मांग के अतिरिक्त चार सूत्री मांग भी पेश कर दी जिसके अन्तर्गत गोलीकांड की न्यायिक जांच की मांग भी शामिल की थी। सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों, अदालतों, विद्यालयों आदि के बहिष्कार के साथ-साथ असहयोग भी प्रारम्भ हुआ। स्थिति यहां तक पहुंच गई कि जनरल याहिया खां ने जब लेफ्टीनेन्ट जनरल टिक्का खां को पूर्वी पाकिस्तान का गवर्नर मनोनीत किया तो ढाका न्यायालय का कोई न्यायाधीश उन्हें शपथ दिलाने के लिए भी प्रस्तुत नहीं हो सका। इतना ही नहीं, राज भवन के बावर्ची तथा बेयरे भी नए गवर्नर की सेवा के लिए नहीं प्रस्तुत हुए। फिर भी टिक्का खां को पूर्वी पाकिस्तान का मार्शल प्रशासक बना दिया गया।

15 मार्च को 35 सूत्रीय कार्यक्रम के आधार पर शेख मुजीब ने स्वतन्त्र बंगला देश की स्थापना की घोषणा की। फौजी शासकों का दिल इससे दहल गया। उसी दिन समझौता वार्ता के लिए जनरल यहिया खां ने 11 दिनों तक शेख मुजीब को इसी प्रकार उलझाए

रखा तथा सलाह मशविरा के लिए मियां भुट्टो को भी बुला भेजा। किन्तु जिस दिन हथियारों तथा सैनिकों से लदे सात जहाज पूर्वी पाकिस्तान पहुंच गए उसी दिन आधी रात को कत्ले आम का फरमान जारी कर वे इस्लामाबाद भाग गये। फलतः पूर्वी पाकिस्तान में गृह-युद्ध प्रारम्भ हो गया तथा 26 मार्च को शेख मुजीबुर्रहमान ने प्रभुसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र जनवादी देश की घोषणा कर दी।

भला फौजी तानाशाह इसे कैसे बर्दाश्त कर सकता था? फौजों को निहत्थों के संहार का आदेश हुआ। बंगला देश देखते-देखते लाशों से पट गया। समाचार-पत्रों ने इस संहार को देख त्राहि-त्राहि की गुहार लगाई; किन्तु जनरल याहिया खां के कान पर जूं तक न रेंगी। फिर क्या था? युद्ध की विभीषिका बढ़ती गई। शेख मुजीबुर्रहमान ने जिन्हें यदि हम सन्त मुजीब कहें तो अधिक उपयुक्त होगा, अपने संगठन के बल से फौजी तानाशाह के छक्के छुड़ा दिए। आजादी के दीवानों ने अपने आप सेना बना कर पाकिस्तानी फौजों को शिकस्त देनी शुरू की। जनरल याहिया खां स्वभावतः यह सोचते थे कि आजादी की इस क्रान्ति पर महीने दो महीने में काबू पा लिया जाएगा। किन्तु आजादी की वह जंग आज भी उसी जोश से चल रही है और आशा है भविष्य में भी चलती रहेगी।

ऐसा लगता है कि यह मांग उसी द्विराष्ट्र सिद्धांत पर आधारित है जिसके अनुसार पाकिस्तान बना था। उन दिनों तो पाकिस्तान बनने के पक्ष वाले लोग इसे मूल-भूत सिद्धान्त के नाम से पुकारते थे किन्तु आज वही बंगला देश के मसले पर उसे भूल से गए हैं। आजादी के लिए लड़ने वालों को बन्दी बना लिया गया है तथा उन्हें नाना प्रकार की यातनाएं दी जा रही हैं। पाकिस्तान को तो बंगला देश की यह मांग स्वतः स्वीकार कर लेनी चाहिए थी क्योंकि उसे भी तो इसी आधार पर अपना हक मिल चुका था।

पाकिस्तान की दुर्नीति का ही परिणाम है कि पूर्वी बंगाल वीरान हुआ वहां फौजी शासन और सिपाहियों के निरंकुश व्यवहार से मनमानी लूटपाट, स्वेच्छाचारिता से उत्पीड़ित त्रस्त होकर लोग भाग-भाग कर भारत की सीमा में शरण पाने को आए। इससे वहां की दूरवस्था की कल्पना की जा सकती है। भारत सरकार के ऊपर शरणार्थियों की नई समस्या आ पड़ी। मानवता के आधार पर भारत बंगला देश से आए हुए इन शरणार्थियों को शरण देता रहा। उनके रहने-खाने दवा-दारू आदि की उचित व्यवस्था करता रहा। इससे देश के ऊपर एक बड़ा अतिरिक्त व्यय का बोझ आ पड़ा है, किन्तु भारत येन-केन-प्रकारेण उसको वहन करता रहा। पाकिस्तान भारत के कार्य को शत्रु-भाव से देख रहा था। सम्भवतः वह उस विपत्ति में पड़े अपने भूखे नंगे तथा बेघरबार भाइयों को जीवित भी नहीं देखना चाहता। समझ में नहीं आता कि यदि आज इस जागरण के युग की बीसवीं शताब्दी में भी आजादी के लिए आवाज उठाने को देशद्रोह तथा पीड़ितों की मदद करने को शत्रुता की कोटि में रखा जा सकता है

तो लाचार होकर कहना पड़ेगा कि इस प्रकार की विचारधारा वालों की बुद्धि नष्ट हो गई है, उनका विनाश निकट है।

शेख मुजीब पर सैनिक-अदालत में मुकदमा चलाकर याहिया खां ने यह घोषणा की कि देशद्रोह के अभियोग में दण्ड-स्वरूप अन्ततः शेख को फांसी दे दी जाएगी।

उनकी इस घोषणा से सारे राष्ट्र चकित और क्षुब्ध हो उठे। लोगों ने यह मांग की कि शेख मुजीब को अविलम्ब रिहा कर देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। देश-भक्ति अपराध नहीं है।

बंगला देश से निरन्तर आ रहे शरणार्थियों को शरण देकर भारत ने अपने गौरव को कायम रखा है। अशरण को शरण देना इस देश की परम्परा रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने शरणागत विभीषण को इसी सिद्धान्त के आधार पर शरण दी थी। इस कार्य से विश्व के समक्ष हमारा मस्तक ऊंचा हुआ है। यदि हम यह कहें कि इसका सारा श्रेय प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी को है तो अत्युक्ति न होगी।

आज सारा देश इन्दिराजी के साथ है। इन्दिराजी ने बंगला देश के सम्बन्ध में जो नीति अपनाई है, वह प्रशंसनीय है। आज नहीं तो कल, अवश्य ही विश्व के अन्य राष्ट्र भी हमारी नीति का समर्थन साहस के साथ और खुले रूप में करने लगेंगे। रूस ने तो अपना प्रत्यक्ष सहयोग भारत के साथ सन्धि करके दिया है। उससे हमारा मनोबल बढ़ा है। पाकिस्तान के कर्णधार हतप्रभ हुए हैं। यही नहीं, पाकिस्तान के अनेक महत्वपूर्ण अधिकारी भी याहिया खां की तानाशाही से ऊब कर त्याग-पत्र दे चुके हैं और अब खुले रूप से बंगला देश का और उसकी मुक्तिवाहिनी का समर्थन और सहयोग करने लगे हैं।

(उत्तर प्रदेश पञ्चायती राज से साभार)

भारत उवाच

देवराज दिनेश

मेरे शत्रु तुझे समझाया इतनी बार,
कब तक सहन करूंगा मैं ये तेरे अत्याचार।

सदा शान्ति मेरी का तुमने गलत लगाया अर्थ,
और शक्ति के मद में आकर जी भर किया अनर्थ।

मुझे ज्ञात है, तुझे मान है तेरे मित्र अनेक,
जिनके बल पर दम्भी बनकर तूने तजा विवेक।

ऐसे रक्त बहाया जैसे हो बरसाती नीर,
कदम कदम पर आहें बिखरीं, सांस सांस में पीर।

लगा दिए तूने धरती पर लाशों के अम्बार,
नहीं कभी भी हुआ धरा पर ऐसा नर संहार।

इच्छा थी हम दोनों बनकर रह पाते मित्र,
और विश्व के लिए बनाते सुन्दर मनहर चित्र।

किन्तु तुम्हारे हठ के आगे होकर के लाचार,
युद्ध देवता की मुझको भी करनी पड़ी गुहार।

शत्रु मान मर्दन करने की ली थी मन में ठान,
विजय श्री से अलंकृत हुआ रणबांकुरा जवान।

मेरे वीर सपूतों ने मानवता की खातिर आज,
वृत्रासुर पर बनकर इन्द्र गिराया भीषण गाज।

शत्रु पक्ष को पाठ पढ़ाया ऐसा किया प्रहार,
बन करके आक्रान्ता कोई अब न करेगा वार॥

नागरिक सुरक्षा और हवाई हमले से बचाव

त्रिलोकी नाथ

जिस तरह देश की सुरक्षा के लिए थल सेना, वायु सेना और नौ सेना होती है उसी प्रकार नागरिकों की सुरक्षा के लिए स्थानीय स्तर पर नागरिक सुरक्षा संगठन भी बड़ा जरूरी होता है। बुनियादी तौर पर यह एक स्वयंसेवी संस्था है और इसके सभी कार्यकर्त्ता स्वेच्छा से और बिना किसी प्रकार के वेतन की कामना के काम करते हैं। ये कार्यकर्त्ता नागरिक सुरक्षा में हर प्रकार से सहयोग करते हैं। युद्ध के समय में या आपात स्थिति में नागरिक सुरक्षा संगठन एक बहुत ही विशेष भूमिका अदा कर करता है। इस संगठन के कई अंग हैं, जैसे :— क्षेत्रीय सेवा, आकस्मिक सेवा, प्राथमिक चिकित्सा सेवा, संचार सेवा, कल्याण सेवा, और गृह अग्नि दल, आदि। हर व्यक्ति अपनी योग्यता एवं क्षमतानुसार किसी न किस रूप में नागरिक सुरक्षा में सहयोग दे सकता है। नागरिक सुरक्षा संगठन के सदस्यों को उनकी इच्छानुसार सेवाओं का प्रशिक्षण दिया जाता है। यह प्रशिक्षण स्थानीय और क्षेत्रीय स्तर पर ही आयोजित किया जाता है और इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता।

युद्ध की स्थिति में दुश्मन हवाई हमलों द्वारा सामान्य जीवन में बेचैनी फैलाने और नागरिक व्यवस्था को छिन्न-भिन्न करके लोगों का मनोबल तोड़ने का दुष्प्रयास करता है। ऐसे हालात आ जाने पर नागरिक सुरक्षा दल ही नागरिक व्यवस्था और उत्पादन संस्थानों आदि को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग देते हैं। नागरिक सुरक्षा दल का कर्त्तव्य होता है कि वह युद्ध के समय बाजारों में उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य न बढ़ने दें। नागरिक सुरक्षा के लिए समाज के सभी लोगों का सहयोग अपेक्षित है। अध्यापकों, विद्यार्थियों, डाक्टरों और नर्सों का तो विशेष दायित्व होता है। वे आकस्मिक और प्राथमिक चिकित्सा सेवा प्रदान कर सकते हैं। सामान्य नागरिक गृह अग्नि दल, क्षेत्रीय सेवा, संचार सेवा आदि में अपना योग दे सकते हैं।

पाकिस्तान ने जो हमारे विरुद्ध युद्ध

छेड़ा उससे नागरिक सुरक्षा दल की गतिविधियां बढ़ गई थीं और उन्हें हर समय सतर्क और कार्यशील रहना पड़ा। उन्होंने सबको "खतरे के सायरन" और "खतरा टलने के सायरन" की जानकारी करायी और इनका अन्तर भली प्रकार समझाया। युद्ध की संकटपूर्ण स्थिति मे जो कार्य नागरिक सुरक्षा दल को करने होते हैं वे नीचे दिए जा रहे हैं :—

हवाई हमला होने से पहले अपेक्षाकृत सामान्य स्थिति में अपने परिवार वालों को और अन्य परिवारों को कुछ जरूरी हिदायतें दे दें। खिड़की, रोशनदान और अन्य ऐसे खुले स्थानों को जिनमें से होकर रोशनी बाहर जाती हो, ढ़क देना चाहिए। शीशों पर खाकी कागज चिपका दें। पीने के लिए पानी और खाने का सामान घर में अवश्य रखें। प्राथमिक चिकित्सा का सामान भी घर में रखें और अपने क्षेत्र के प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र और क्षेत्रीय अधिकारी (वार्डन) से परिचय कर लें। कुदाली, फावड़ा, रस्सी, टार्च, मोम-बत्तियां आदि रखना और कुछ बोरों में मिट्टी भरकर रख लें। अपने मकानों के आसपास खन्दकें खोद लें। ऐसे पदार्थों को जो आग पकड़ सकते हों, अलग रखें तथा जीनों को बिल्कुल खाली रखें।

हवाई हमले के खतरे का सायरन बजते ही पोजीशन ले लें। यदि आप खुले में हैं तो तुरन्त जमीन पर मुंह नीचे की ओर करके कुहनियों के बल लेट जाएं। यदि आप बस में या कार आदि में हैं तो बत्तियां बन्द करके गाड़ी सड़क के बाईं ओर खड़ी कर दें और बाहर आकर पोजीशन ले लें। इसके बाद फौरन कानों में रुई डाल लें और ऊपर की ओर कतई न देखें। किसी सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान—क्लब, सिनेमा घर आदि में जैसे हैं वैसे ही बैठे रहें। अपने मकान में हों तो भीतर के किसी सुरक्षित कमरे में चले जाएं और सारी बत्तियां बन्द करके दीवार के सहारे चलें। सभी दरवाजे और खिड़कियां तुरन्त बन्द कर दें और फिर दीवार के कोने में पोजीशन ले लें।

हवाई हमले के बाद खतरा टलने का सायरन बजने पर यदि आसपास कहीं बम गिरा हो तो उसका पता लगाकर उसे नियन्त्रण में लाने के प्रयत्न करें। मिट्टी की बोरी को मुंह के आगे करके अपनी आंखें बचाए रखें और बम की दिशा में बढ़ते रहिए। कुछ दूरी से बम पर बोरी से मिट्टी डाल दीजिए। उससे बम का प्रभाव बिल्कुल कम रह जाएगा। परन्तु बम पर कभी भी पानी का फौहारा न छोड़ें। अन्य व्यक्तियों को सहायता के लिए बुला लें।

यदि कहीं आग लगी हो तो सबसे पहले खिड़कियां, दरवाजे बन्द करके ताजी हवा का आना रोकिए। जहां तक सम्भव हो सबको सावधान कर दें और मकान से बाहर निकाल दें। कोई बच्चा, बूढ़ा या मरीज सोता ही न रह जाए इस बात का विशेष ध्यान रखें। दीवार के सहारे चलते रहिए। लपटों या धुंए में से गुजरने के लिए फर्श पर रेंग-कर चलिए। मकान से बाहर निकलने और अन्य फंसे हुए व्यक्तियों को बाहर निकालने के लिए खिड़की का ही रास्ता इस्तेमाल करें। ऊपर की मंजिल से आने के लिए रस्सी उपयोग में लाएं या चादरों को मरोड़ कर रस्सी बना लें। बेहोश व्यक्ति को भी इसी चादर की रस्सी से बांध कर धीरे-धीरे नीचे लटका दें। रस्सी कमर में बांधें। हां, इससे पहले गद्दे, तकिए और अन्य बिस्तर नीचे फेंक दें ताकि नीचे उतरने वाले को अधिक चोट न लगे। ऐसी हालत में घबराने की जरूरत नहीं। खूब इतमीनान के साथ काम करें और आग बुझाने वाली गाड़ियों को सुविधानुसार शीघ्रातिशीघ्र बुलाने की कोशिश करें।

खतरा टलने का सायरन बजने पर अपने चारों ओर की स्थिति का जायजा लें पर स्वयं दीवार के सहारे ही रहें और जहां तक हो लेटकर रेंगें। यदि कोई मकान या अन्य इमारत गिर गई हो और कोई व्यक्ति उसमें फंसकर घायल हो गया हो तो घायल व्यक्ति को मलबे से बचाने का प्रयत्न करें। बल्लियां, बिजली के तार या अन्य किसी प्रकार की पाईप छेड़ने से और

अधिक मलबा ढह पड़ने की सम्भावना रहती है, अतः ऐसा न करें। यदि घायल व्यक्ति बेहोश हो और किसी भारी चीज के नीचे दबा हो तो उसे निकालने के लिए उत्तोलक (लीवर) का प्रयोग करें। बाहर निकाल कर उसकी नाक और मुंह को खोलें ताकि वह सांस ले सके। जरूरी हो तो अप्राकृतिक सांस दें। उसे लिटाकर गर्मी दें। कहीं से खून बह रहा हो तो सबसे पहले खून बहना ही रोकें। यदि कोई हड्डी वगैरह टूट गई हो या ऐसी आशंका हो तो लकड़ी या गत्ता आदि बांध कर उस भाग को हिलने डुलने से रोकें। शीघ्र ही उसे प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र पर ले जाने का प्रबन्ध भी कर लें।

इन सब हिदायतों और सावधानियों के अतिरिक्त अपनी जिम्मेवारियों को समझते हुए नागरिक व्यवस्था बनाए रखें और जरूरतमन्दों की हर सम्भव सहायता करें। लोगों को अफवाहें और गलत बातें फैलाने से या सुनने से रोकें। आवश्यक सामान आदि की नियन्त्रित और सुचारु सप्लाई बनाए रखने में सहयोग दें और यदि कोई भी व्यापारी मुनाफा खोरी कर रहा हो तो बिना झिझक के उसकी कारगुजारी की सूचना सम्बन्धित अधिकारी को दें। पर इस बात का पूरा ध्यान रखें कि किसी भी हालत में कोई भी निरपराध न फंस जाए। सड़क पर आने-जाने वाली मोटरगाड़ियों और स्कूटर आदि को बेमतलब तंग न किया जाए। अन्ततः हम सब भारतीय ही हैं और एकता तथा सहयोग से तो हम हर दशा में सफल और विजयी होंगे।

दुश्मन को घुटने टेकने पड़े.....[पृष्ठ 1 का शेषांश]

हमें जो उमंग, उत्साह और आत्मबल मिला है उसे राष्ट्र निर्माण की दिशा में अग्रसर करें।

आज शत्रु पद्दलित और पादाक्रान्त है पर फिर भी गुर्रा रहा है। हमें अपने आदर्शों और सीमाओं की रक्षा के लिए सतत जागरूक रहना होगा। आपको याद होगा कि 1965 में पाकिस्तान ने जब हमारी मातृभूमि पर हमला बोला तब हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लालबहादुर शास्त्री ने "जय जवान जय किसान" का नारा दिया था। इस नारे को आज और अधिक जोर शोर से अमल में लाने की जरूरत है। जहां जवानों को सैनिक मोर्चे पर सावधान और सतर्क रहना होगा वहां किसानों और मजदूरों को खेती और कारखानों में तेजी से उत्पादन बढ़ा कर घरेलू मोर्चे को सुदृढ़ रखना होगा जिससे हमको अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी दूसरे के आगे हाथ न पसारना पड़े। तभी हम दुश्मन को काबू में रख सकते हैं। आपको ज्ञात होगा कि युद्ध के दौरान हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा ने सभी नागरिकों से यह अपील की थी कि वे देश के भीतर संयम और अनुशासन बनाए रख कर दुश्मन के हौसले पस्त करने में सहयोग दें। हमें खुशी है कि व्यापारी वर्ग के कुछ लोगों को छोड़ कर सभी नागरिक पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ इन्दिराजी की अपील को अमल में लाए।

भारत गांवों का देश है और हमारे गांव ही हमारी शक्ति के पुंज है। युद्ध के मोर्चे पर लड़ने वाले नब्बे प्रतिशत जवान इन गांवों के ही रहने वाले हैं। अपने लाड़ले पुत्रों को देश रक्षा के लिए सेना को समर्पित कर जहां गांववालों ने सैनिक मोर्चे को सुदृढ़ और सबल बनाया है वहां देश में कृषि क्रान्ति लाकर हमारे अन्न-भण्डार भी भर दिए हैं। यह खुशी की बात है कि आज हमारे गांव भूखे नंगे नहीं है और उनमें दान-दक्षिणा और त्यागभावना की भी कोई कमी नहीं है। जिस तरह उन्होंने पिछले भारत-पाक युद्ध तथा भारत चीन युद्ध के दिनों में दिल खोलकर रुपए पैसे, सोना-चांदी और अपने धन-धान्यों के भण्डार राष्ट्र रक्षा के लिए खोल दिए थे उसी तरह इस युद्ध में भी वे किसी तरह भी पीछे न रहे और दुश्मन को परास्त करने के लिए अपना सर्वस्व तक अर्पित करने के लिए तत्पर रहे। पर इतना ही तो काफी नहीं है। इस दिशा में उन्हें अभी और भी सक्रिय रहना होगा।

जहां इस युद्ध में शत्रु को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी है वहां हमें भी धन जन की कुछ हानि उठानी पड़ी है। हमारे बहुत से जवान बीरगति को प्राप्त हुए हैं और बहुत से क्षत विक्षत हैं। उनके प्रति हमारा बहुत बड़ा कर्त्तव्य है। जहां एक ओर सरकार इनके घरवालों, विधवाओं तथा इनके आश्रितों की सब तहर की मदद करने के लिए कटिबद्ध है वहां हमारे सभी देशवासियों का भी यह कर्त्तव्य है कि वे उनकी हर तरह से मदद करें। तभी हम अपने इन वीर सैनिकों के प्रति अपनी सच्ची कृतज्ञता का सही इजहार कर सकते हैं।

युद्ध में ग्रामीण नर-नारियों के प्रयास

ब्रह्मदत्त स्नातक

पाकिस्तान ने भारत पर अपना निर्लज्ज-तापूर्ण आक्रमण किया। आकस्मिक या अप्रत्याशित तो इसलिए नहीं कहा जा सकता कि जनरल याहिया खां और उनके साथी पाकिस्तानी जनता को काफिर देश भारत को कुचल डालने और हमेशा के लिए दफना देने की बांग बहुत पहले से दे रहे थे। ईद पर मित्रता का सन्देश भेज कर तुरन्त लड़ाई छेड़ना उनके लिए कोई नई बात नहीं। इसी 26 मार्च तक बंगला देश के जन प्रतिनिधियों से मैत्री-वार्तालाप का बहाना करके अक-स्मात ही वहां नर संहार कर देना उनकी अनीति का अंग था। परन्तु धोखेबाज अफजल खां को जिस प्रकार शिवाजी ने खत्म कर दिया था, उसी प्रकार इस दैत्य का सहार भारत ने कर दिया।

युद्ध में निर्णायक अकेली सैनिक शक्ति नहीं होती, अपितु जनता की तैयारी और सहयोग राष्ट्र की किस्मत का फैसला करते हैं। राजनेताओं और सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं का भी कर्त्तव्य है कि वे जन-साधारण को सही नेतृत्व, संगठन, और दिशानिर्देश दें और तत्परता की भावना से काम करें और जन-मानस को जाग्रत करके सही रास्ता दिखाएं। युद्ध में सफलताओं से हमें अपने प्रयत्न शिथिल नहीं कर देने चाहिएं, अपितु चौकस रह कर तुरन्त ही इस दिशा में और अधिक तैयारी में जुट जाना चाहिए। इस दिशा मे हमारे देशवासी विशेषत: देहात में रहने वाले भाई-बहन और उन क्षेत्रों में काम करने वाले सार्वजनिक कार्यकर्त्ता और सरकारी कर्मचारी, व्यापारी-मजदूर कैसे काम करें, इस पर हमें विचार करना चाहिए।

जय जवान जय किसान

हमारा देहाती भारत राष्ट्र का सबसे बड़ा और सुदृढ़ अंग है, और वर्तमान औद्योगिक सभ्यता इसके सामुदायिक जीवन को नष्ट करके इसे व्यक्ति-प्रधान नहीं बना पाई है। श्रम, एकता और साहस का स्रोत आज भी इन गांवों में ही ढूढा जा सकता है। तकनीकी और औद्योगिक विकास के जन्मदाता और भारत के प्रथम प्रधानमन्त्री स्व० जवाहरलाल नेहरू ने 1962 के संकट के समय में देहात तथा वहां की शक्तिशाली जनता के नाम अपील की थी : देहाती भारत राष्ट्र का प्राण है। वह सारे देश तथा सेना को भोजन देता है। वहां से राष्ट्र को बहा-दुर सैनिक प्राप्त होते हैं, इसलिए उन्हें राष्ट्र रक्षा के लिए संगठित होना चाहिए।

(रेडियो ब्राडकास्ट-26 जून, 1963)

इसके लिए तुरन्त निम्न कार्यक्रम चालू होने चाहिए—

भारत के साढ़े पांच लाख गांवों में रहने वाले प्रत्येक सक्षम और वयस्क को अपने गांव के ग्राम स्वयंसेवक दल (विलेज वालन्टियर फोर्स) में भरती हो जाना चाहिए और फौज में भरती होकर दुश्मन के दांत खट्टे कर देने चाहिए। स्त्री और पुरुष समान रूप से इसमें भाग लें। हमारे देश में कैकेयी, रानी लक्ष्मीबाई आदि नारियों ने युद्ध के मैदान में पराक्रम से नाम कमाया, जौहर की ज्वाला में जल कर मर मिटने वाली भारतीय नारियों की तरह आज हमारा नारी जगत अनेक रूपों में अपने राष्ट्र की सेवा कर सकता है। इस दिशा में श्रीमती इन्दिरा गांधी ने वर्तमान प्रधान-मन्त्री पद सम्भालने से पहले नारियों के नाम जो रेडियो ब्राडकास्ट (25-12-63) किया था, उस पर आज भी अमल किया जाए। उनके अपने शब्दों में उसका आधार निम्न प्रकार का हो सकता है।

[1] राष्ट्र को स्वर्ण की आवश्य-कता है, जिससे कि इसके बदले अस्त्र-शस्त्र, विमान, जहाज विदेशों से प्राप्त किए जा सकें। जो स्वर्ण न दे सकें, वे और दूसरा धन दें। नारियां, छात्राएं और लड़कियां अपनी प्रेरणा द्वारा भी यह काम पुरुषों से करवा सकती है, और स्वयं दे सकती हैं।

[2] सैनिकों के परिवार, उनकी पत्नियों, पुत्र-पुत्रियों तथा आश्रितों की देखभाल, सहायता और सांत्वना देने का काम नारियां भली प्रकार कर सकती हैं। उनकी खेती तथा आजीविका के काम में भी वे सहायता दें।

[3] भारतीय नारी के जीवन में संगीत और लोकगीतों का अपना स्थान है। समूचा राष्ट्र उससे प्रेरणा पाता है। अत: उन्हें वीरतापूर्ण सहगानों के द्वारा बलिदान और राष्ट्र रक्षा की भावना जगानी चाहिए। आल्हा, महाराष्ट्र में अभंग पौवाड़ा, कव्वाली जैसे सहगान तथा गिद्दा-भांगड़ा जैसे शौर्यपूर्ण नृत्य इसमे बड़े सहायक हैं।

[4] सब का स्वास्थ्य ठीक रहे, इसके लिए स्त्रियों को भोजन बनाते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए। खाद्य पदार्थों की बरबादी तुरन्त रोक दी जाए। सीमित साधनों से उत्तम खाद्य तैयार किए जाने चाहिए। वे घर के आसपास की जमीन में तरकारी फल उपजा कर बचत एवं स्वास्थ्य वृद्धि में योग दान कर सकती हैं।

[5] खाली समय में रोगी परिचर्या, फर्स्ट एड तथा हवाई हमले से बचाव के बारे में अधिकाधिक जानकारी हासिल करनी चाहिए। सिलाई व अन्य कुटीर उद्योग के द्वारा उत्पादन और आय में वृद्धि की जानी चाहिए।

[6] अफवाहों को रोकने में स्त्रियां बड़ा महत्वपूर्ण भाग ले सकती हैं। गलत सूचना पर विश्वास करने और उसे आगे फैला देने से राष्ट्र को अकल्पनीय क्षति होती है। एक मंथरा की बात पर कैकेयी के विश्वास करने से राम-लक्ष्मण-सीता को वनवास में जाना पड़ा था, और दशरथ स्वर्ग सिधार गए थे। नारियों को अपने गांव-मुहल्ले में सन्दिग्ध चरित्र के पुरुष एवं महिलाओं पर निगाह रखनी चाहिए। मेहतरानी, धोबिन, कुम्हारिन कहारिनें आदि राष्ट्र विरोधी घरों का पूरा पता रख सकती हैं। इन वर्गों या इनके काम को भी महत्वपूर्ण माना जाए। उन्हें सदा प्रोत्साहन का वातावरण बनाए रखना चाहिए।

[7] ब्लैक आउट, आग दुर्घटना तथा नागरिक सुरक्षा के नियमों की जानकारी एवं परिपालन करने में स्त्रियां अत्यन्त सहायक होती हैं।

अधिक उपजाएं

सीमा की रक्षा करना तो सेना का काम है, परन्तु खेती के नए तरीके अपना कर, सिंचाई प्रणाली को विकसित करके, भूमि संरक्षण के उपाय प्रयोग में लाकर और असिंचित कृषि प्रणाली को काम में लाकर हमें देश की उपज को अधिकाधिक बढ़ाना चाहिए। बागों एवं सब्जी उत्पादन के द्वारा भी व्यक्तिगत और सामूहिक आय बढ़ाई जाए। आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए सहकारी प्रयत्नों को प्रोत्साहन मिले, जिससे मुनाफा कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में न पहुंच जाए। मार्केटिंग के लिए भी इसी दिशा में काम होना चाहिए। सामूहिक कल्याण हमारा ध्येय बना रहे। सरकारी कर्मचारियों को देहाती जनता के साथ ईमानदारी पूर्ण, मृदु तथा भाईचारे का व्यवहार रखना चाहिए।

सही सूचना

सामूहिक संचार साधनों, रेडियो, टेलीविजन जैसे माध्यमों और 'हमारा देश' जैसे छोटे समाचार पत्रों एवं अन्य अखबार-पत्रिकाओं के जरिए देहात के लोगों को हमारे रक्षा तथा विकास के प्रयत्नों से पूरी तरह अवगत रखना चाहिए। इससे वे शत्रु के शरारती प्रचार का शिकार होने से बच जाएंगे। एकता और साम्प्रदायिक सौमनस्य, देहात में रहने वाले विभिन्न वर्गों में परस्पर प्रीति, और समर्थ व्यक्तियों द्वारा दुर्बल वर्गों की सहायता में तत्परतापूर्वक सहयोग हमें अपने ध्येय की प्राप्ति करा सकते हैं। आल्हा एवं अन्य वीरतापूर्ण लोकगीतों एवं कव्वाली-नौटंकी-नाटक के कार्यक्रमों के द्वारा देहात में जनता को सुसंगठित किया जाना चाहिए। सावन में बैसाख के अनुपयुक्त गीतों की भांति शृंगार के अनावश्यक गाने जो कि लाउडस्पीकरों से रिकार्डों के द्वारा पहुंचाए जाते हैं, उनको निरुत्साहित किया जाए।

शत्रु का रेडियो पर होने वाला प्रोपेगेंडा भयानक रूप से साम्प्रदायिक रंग में डूबा हुआ होता हैं, जिसमें वे अपने आप को गाज़ी और मुजाहिद तथा धर्म रक्षक कहकर भारतीय मुसलमानों को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे लोगों को बताया जाना चाहिए कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ सदैव उदारतापूर्वक व्यवहार होता रहा है और आज भी हमारी सेना के स्थल सेनाध्यक्ष पारसी है तथा अब्दुल हमीद जैसे मुसलमान देश की रक्षा में अपने आपको समर्पित कर चुके हैं। बंगला देश में भारत की सेना वहां की सरकार एवं मुक्तिवाहिनी की सहायता के लिए गई है। भारत का उद्देश्य वहां के एक करोड़ निवासियों को उनके घरों में वापिस पहुंचाना तथा जनप्रतिनिधियों के हाथों में वहां का शासन देना है। राम ने लंका पर रावण को मार कर भी अपना अधिकार नहीं जमाया था। यह हमारी परम्परा है।

रक्षा सहयोग

ग्राम स्वयंसेवक दल को ग्राम की सुरक्षा, और अवांछनीय लोगों पर दृष्टि रखनी होती है और एकता बनाए रखने के अलावा वहां शान्तिपूर्वक सामान्य जीवन चलाने के लिए आवश्यक वातावरण बनाए रखना होता है। चूंकि संकटकाल में सेना के अतिरिक्त पुलिस भी रक्षा के काम में लगी हुई थी, सार्वजनिक सम्पत्ति, स्कूल, रेलवे स्टेशन, डाकखाना, तारघर तथा टेलीफोन के तार एवं रेलवे की पटरियों की देखभाल का काम भी देहात के लोगों ने मुस्तैदी से किया। यातायात और संचार के साधनों को बराबर ठीक और सुरक्षित रखकर वे अपने क्षेत्र और समूचे राष्ट्र की रक्षा में अपना योगदान कर सके। अन्त में हम यही कहना चाहते हैं कि वह दिन शीघ्र ही आ गया जब हमारे वीर जवान जो ग्राम वासी ही हैं, अपनी विजय पताका लहराते हुए राष्ट्र का गौरव बढ़ा सके।

रूपक

युद्ध और विकास

भगवानसिंह चन्देल 'चन्द्र'

[गांव की चौपाल पर मुखिया और ग्रामसेवक बैठे हैं। एक तरफ कुछ महिलाएं और ग्रामसेविका बैठी हुई आपस में गपशप कर रही हैं। रेडियो पर कुछ श्रोता समाचार सुन रहे हैं।]

मुखिया : श्रोता भाई बहिनो, कल आप लोगों को मीराबाई के पद सुनाए गए थे कितने मार्मिक थे वे ?

रामू किसान : हां मुखिया जी, भारत की इस भक्त महिला ने तो नाम रस की गंगा ही बहा दी, "मैं तो राम नाम की प्यासी" कितनी तन्मयता थी इस गीत में।

ग्राम सेवक : हां दादा, आज भी ऐसा ही कोई भक्ति प्रधान गीत हम सब सुनना चाहेंगे।

मुखिया : श्रोता बन्धुओ ! परमेश्वर का स्मरण तो सदा करना ही चाहिए लेकिन देश की चिन्ता भी आवश्यक है।

ग्राम सेवक : हां दादा जी, कल अखबारों के समाचार यह बता रहे थे कि हमारी समस्त उत्तरी-पूर्वी सीमा पर पाकिस्तानी सैनिकों की काफी चहल-पहल है।

ग्राम सेविका : हां दादा, मैंने अपने रेडियो पर सुना था कि काश्मीर से लेकर सारी पश्चिमी सीमा पर हमले दुश्मनों ने चालू कर दिए हैं। इन समाचारों के कारण चिन्ता बढ़ने से मुझे तो रात को ठीक-ठीक नींद नहीं आई।

मुखिया : बेटी, चिन्ता की बात नहीं है। हमारा देश बेखबर नहीं बैठा है। सीमावर्ती सारे मोर्चों पर हमारे सैनिक शत्रु से लोहा ले रहे हैं। उन्होंने शत्रु के दांत खट्टे कर दिए हैं। अब केवल कुछ दिनों की बात है। शत्रु दुम दबा कर भागेगा।

ग्राम सेवक : हां दादाजी ! हमारा नेतृत्व करने वाली श्रीमती इन्दिरा गांधी ने संसार को सूचित कर दिया है कि पूर्वी बंगाल से लाखों शरणार्थी भारत आ चुके हैं। हम यह भार सहन करने में असमर्थ हैं। संसार को हमारी समस्या समझनी चाहिए।

रामू किसान : मैंने भी अखबार पढ़ा था। अभी, तीन सप्ताह की विदेश यात्रा पर श्रीमती इन्दिरा गांधी अमेरिका, इंगलैण्ड, फ्रांस, रूस आदि देशों को गई थीं। यहां याहिया खां के अत्याचारों को सुनाकर उन देशों की आंखों को खोल दिया।

मुखिया : भाई साहब, दुश्मन के खिलाफ हमारे गांवों को भी अच्छी तैयारी रखनी जरूरी है।

ग्राम सेवक : प्यारे भाइयों, गांवों में अपन लोग खेती तो करते ही हैं। गृहिणियों को अपने घर में पैसा और अन्न बचाना चाहिए जिससे समय पर देश की हम भी मदद कर सकें। पैसा बचाएं और, रक्षा कोष में दें।

ग्राम सेविका : जी हां, गांव और शहर सभी के निवासी अपना-अपना कर्तव्य पालन करें यही हमारी देश-भक्ति है।

ग्राम सेवक : अरे भाई साहब, सबसे पहिले हम सभी वर्ग के लोग हेल-मेल से रहें। कठोर परिश्रम करें। हर तरह की झगड़ेबाज़ी से बाज आएं क्योंकि परस्पर झगड़ने से दुश्मन का मनोबल बढ़ता है। उसको झूठी अफवाहें फैलाने का मौका मिलता है।

रामू किसान : लो साहब, यहां की यही तो मुश्किल बात है।

ग्राम सेवक : अरे क्यों ? क्या बात है ?

रामू किसान : बड़ा आश्चर्य है। आपने कल नहीं सुना कि अपने गांव के दो पड़ोसी किसान आपस में ही लट्ठबाजी कर रहे थे।

ग्राम सेवक : क्यों, क्या बात हुई ?

रामू किसान : अरे साहब, क्या बताऊं। अपने यहां बात का बतंगड़ बन जाता है। मामले पर गम्भीर होकर विचार नहीं करते लोग ?

मुखिया : हां भाई, चहल-पहल तो सुनी गई थी लेकिन कौन-कौन झगड़े हैं, पता नहीं है।

रामू किसान : हरखू बिरख् दोनों पड़ोसी हैं। दोनों के आमने-सामने मकान हैं। इनके घरों के सामने छोटी सी पतली गली है। अपने-अपने गाड़ी बैल निकालने थे बस इसी पर भिड़ पड़े।

मुखिया : इसमें झगड़ने की बात क्या थी। दोनों अपनी गली को सड़क का रूप क्यों नहीं दे डालते। सब झगड़ा समाप्त हो जाएगा।

ग्राम सेवक : दादाजी, मैं देखता हूं कि इन गलियों में वर्षा में कीचड़ उछलता है। गर्मियों में धूल अठखेलियां करती है और गंदगी तो आठों पहर यहां अपनी बदबू का साम्राज्य बनाए रहती है ?

रामू किसान : दादा, इन गलियों की सड़क बन जाती तो कितना अच्छा होता।

मुखिया : मैं तो कई बार कह चुका हूं। आज मैं इन झगड़ने वालों को ही पहिले बुलवाता हूं।

(दोनों का प्रवेश)

एक किसान : मुखिया जी, हम सेवा में हाजिर हैं।

मुखिया : देखो, आज आप दोनों पड़ोसी भाई मिलकर अपने दरवाजों की गली को सड़क का जामा पहिना दो अन्यथा दण्ड वसूल होगा।

दूसरा किसान : मुखिया जी, हम लोग यह भार कैसे सहन करेंगे ?

मुखिया : आप दोनों अपने हाथों से सपरिवार श्रमदान करो। मिट्टी, कंकड़, रेत जो भी चाहोगे, वह सब सामान पंचायत देगी।

ग्राम सेवक : मैं तो यह चाहूंगा कि सारे गांव की सड़क इसी तरीके पर तैयार हो जाए। आज के युग में श्रमदान के हीरों ने गांव को चमका दिया है।

मुखिया : मैं गांव में डोंडी से सूचना कराए देता हूं कि सब लोग अपने-अपने दरवाजों का रास्ता पन्द्रह दिन में सड़क के रूप में बदल डालें।

ग्राम सेवक : वाह, तब तो साईकल, मोटर, रिक्शा, बैल-गाड़ियों और पैदल यात्रियों को स्वर्ग सुख प्राप्त हो जाएगा।

किसान समूह : आज हमारा प्रण है—हम अपने हाथों अपने गांव की सड़क निर्माण करेंगे।

प्यारे लाल : आपको सड़क की पड़ी है सीमा पर दोनों ओर मोर्चे जमे हुए हैं।

मुखिया : तो क्या हुआ, हमें अपने जवानों पर पूरा विश्वास है। वे शत्रु को पछाड़ कर छोड़ेंगे। हमारा युद्ध प्रयास और विकास कार्य साथ साथ चलेगा।

(श्रमदान की तैयारी में गांव की चौपाल पर सभी स्त्री पुरुष एकत्र हैं। इनके साथ मुखिया, ग्रामसेवक तथा ग्रामसेविका खड़े हैं।)

मुखिया : भाई बहिनो ! आज श्रमदान से हम सभी अपने गांव का सिर ऊंचा उठा रहे हैं। मैं एक गीत गाता हूं आप उसको दुहराएंगे—

"हम निज धरती की सेवा में, तन-मन आज लुटाएंगे,
पगडंडी के टेढ़े पथ को, हंसमुख सभी बनाएंगे।
मिट्टी खोदें मिट्टी डालें, कंकड़-रेत बिछाएंगे,
पाकिस्तानी दुश्मन को हम मिट्टी धूल चटाएंगे।
हम निज धरती की सेवा में, तन-मन आज लुटाएंगे॥

(सभी श्रमदानी गीत को दोहराते हैं)

मुखिया : वाह क्या कहना है मेरे बेटो और बेटियो ? देखो, यह अपना युवक-दल गेंती फावड़े सजाकर आ रहा है। सभी लोग इस काम में जुट जाओ।

ग्राम सेवक : वाह, वाह, क्या बात है। देश-सेवा का यही तो व्रत है। हमारी ग्राम-सेना गांव का उद्धार करने में सफल होगी।

(युवक-दल सड़क निर्माण करने लगता है)

मुखिया : वाह-भाई वाह ! यह देखो, हमारे महिला समाज का नेतृत्व करने वाली ग्रामसेविका जो आज महिला-मंडल को ट्रेनिंग देने के लिए तैयार है।

रामू किसान : दादाजी, काहे का ट्रेनिंग होगा साहब।

मुखिया : अरे भाई, कितना अच्छा काम है। गांव में मारपीट हो जाती है। किसी के घाव आ जाता है और कभी किसी को मोच आ जाती है और ट्रेनिंग में यही बातें बताई जाती हैं कि तत्काल उपचार हो जाए।

ग्राम सेवक : हां साहब, आज का सजग रहने का जमाना है। सीमा पर हमारे पहरेदार वीर सैनिकों की सेवा का मौका आ गया है और मरहमपट्टी का काम भी यह महिला-मंडल कर सकता है।

ग्राम सेविका : हां बहिनों, तुमने सड़क बनाने में सहायता दी है। तुम्हारी श्रम बूंदों से गांव की सड़क बन कर तैयार हो गई है।

मुखिया : अब थोड़ा बैठकर आराम कर लो।

ग्राम सेविका : हां बहिनों, बैठे-बैठे ये कपड़े की पट्टियां बना डालो।

रामू किसान : अरी बहिन जी, इस बांस की खपच्ची का क्या करें ?

ग्राम सेविका : यह भी बड़े काम की चीज है। कपड़े की पट्टी और बांस की खपच्ची शरीर के अंग की हड्डी साधने में मदद करती है। मैं इसी काम को

बताती हूं।

रामू किसान : अरे साहब, मेरे मुन्ना के हाथ की हड्डी उतर गई थी तब मुझे शहर के अस्पताल में भागना पड़ा था और पच्चीस के नोट खर्च हुए। इस ट्रेनिंग से तो अपने घर पर ही इलाज कर लिया जाया करेगा। सीखो बहिनो सीखो।

मुखिया : वाहजी, मेरे गांव के युवक मंडल ने सड़क बनाई है। महिला-मंडल ने प्राथमिक उपचार का कार्य सीखा है। शासन द्वारा ग्रामोन्नति के लिए अब सड़क के किनारे बिजली लग रही है।

रामू किसान : अरे वाह जी, अब तो गांव में दिल्ली, और कलकत्ता की खूबसूरती लाई जा रही है। मुखिया का पुरुषार्थ बड़ा सजीला है।

ग्राम सेवक : क्यों नहीं ऐसे ही साहसी पुरुषों के बल पर ही तो राम राज्य का संकल्प श्रीमती इन्दिरा को पूरा करने का अवसर मिल रहा है। चौथी पंच-वर्षीय योजना अपनी एक शताब्दी की चौथाई उम्र तय कर रही है। देखने वाले देखें कि इस अवधि में ग्राम-राज्य का सूर्य कितना ऊंचा चढ़ रहा है ?

मुखिया : तभी तो कहा है कि "गांव मांगे दो बात, ऊंचा मन मैले हाथ।" हम लोग स्वावलम्बन का सबक इसी तरह सीखेंगे।

ग्राम सेवक : अरे काकाजी, किसी समय यहां दूध-घी की नदियां प्रवाहित होती थीं। यह हमारे फौलादी परिश्रमी हाथों का ही वरदान था।

मुखिया : आज हमारी मिट्टी सोना उगल रही है। हमारे संकल्प किसी गांव से पीछे नहीं रहेंगे। यह बात पत्थर की लकीर समझो।

रामू किसान : दादाजी, सुना है कि बिजली की रोशनी से हमारा गांव तो चमकने ही वाला है मगर अब पता लगा है कि सिंचाई के विद्युत पम्प भी लगने वाले हैं।

ग्राम सेवक : हां, हां, मैं यह बात सीना ठोककर बता रहा हूं। आप लोगों ने परिश्रम किया तो सड़क बन गई। महिलाओं ने गांव में प्राथमिक उपचार का प्रचार प्रसार करने में सफलता कमाई है। अब सिंचाई साधनों से खेतों में कंचन बरसेगा।

रामू किसान : यह कैसे होगा, बाबूजी ?

ग्राम सेवक : यह सब अपने मुखिया जी के परिश्रम का नतीजा है। खुद काम करते हैं और हमें तुम्हें काम में लगाते हैं। हम सबका हौसला बढ़ाते हैं। गांव में बिजली आने से जमीन फोड़कर सिंचाई के लिए पानी मिला करेगा। आवश्यक जल पाने से सभी फसलें लहलहाएंगी। गांव का भाग्य चमकने लगेगा। निर्धनता और विवशता का पिशाच गांव से दूर होगा।

सभी किसान : वाह दादा, तुम्हारे आशीर्वाद शत-शत बार सफल हों। गांव का मुखिया हो तो ऐसा हो।

ग्राम सेवक : मुखिया जी ! आपको पता ही है कि पाकिस्तान के तानाशाह याहिया खां ने हम पर हमला बोल कर ऐसी गुस्ताखी की है कि उसे क्षमा नहीं किया जा सकता। हमारे सैनिक मुंह तोड़ जवाब दे रहे है। ऐसी हालत में हमारा कर्त्तव्य है कि हम अपने जवानों की खातिर सोना-चांदी, रुपया पैसा जो कुछ भी दे सकते हैं, उसे देकर सरकार की मदद करें।

मुखिया : ग्रामसेवक जी। यह भी कोई कहने की बात है ? हमारे घर आंगन धन धान्य से भरे पड़े हैं। उन्हें हम अपने जवानों की खातिर समर्पित करते हैं। भगवान की दया से हमारे घरों में सोने-चांदी की भी कोई कमी नहीं, वक्त आने पर वह भी सरकार को समर्पित है। इससे भी बड़ी चीज अपने बेटों और पोतों को सेना को समर्पित करते हैं जो अवश्य ही दुश्मन की छाती का खून पीकर विजयी होकर लौटेंगे।

ग्राम सेवक : अरे मुखिया जी ! लो, अखबार पढ़ो, पाकिस्तान ने हथियार डाल दिए ! सभी खुशी से नाच उठते हैं।

(सभी ने जय जयकार किया)

[हमारा गांव खुशहाल हो,
जवानों का बल निहाल हो।]

(सभी का प्रस्थान)

आवरण पृष्ठ 2 का शेषांश]

अनाज के लिए किसी का मुंह न ताकना पड़े।

जमाखोरी खुद न करें, न करने दें। अगर आपको किसी जमाखोरी का पता है तो देशभक्ति की मांग है कि उसे पुलिस के हवाले कर दें। अधिक दाम लेने वाले का सामूहिक रूप से बहिष्कार करें।

कहीं संदेह वाले व्यक्ति का पता लगे तो उसकी पूरी जांच कराई जाए। दीवारों के भी कान होते हैं। कच्ची बात न कहिए। गांव के सभी लोग अपना अपना काम सुचारू रूप से करें। कोई कड़ी न टूटे, नहीं तो कमजोर जंजीर दुश्मन को नहीं मार सकेगी। स्कूल, कालेज के बच्चे पढ़ते रहें, किसान खेतों में डटे रहें, कारखानों में मजदूर डटे रहें--मतलब यह कि हर कोई आदमी अपनी पूरी सामर्थ्य से काम करे।

सभी स्वस्थ और नीरोग युवा लोग जवानों के लिए अपना खून दे सकें तो यह भी बड़ी सेवा होगी। इस खून के हर कतरे की कीमत सोने-चांदी के बेजान टुकड़ों से ज्यादा है।

जिससे जो बन सके जवानों के लिए करें। रक्षाकोष में दे सकते हैं रुपया पैसा-अस्पताल में दे सकते हैं खून। अगर आपके इर्द-गिर्द कहीं कोई जवान का परिवार रहता है, तो उनके बच्चों से मांओं से, बहनों और बेटियों से मिलिए ताकि वे महसूस करें कि उनके बच्चे, भाई या पति आदि ने फौज में जाकर उनकी आबरू को चार चांद लगाए हैं। आखिर जवानों की अनुपस्थिति क्यों महसूस की जाए। अगर वे हमारी हिफाजत के लिए वहां अपना खून दे रहे हैं तो क्या हम घर रह कर उनके बीबी-बच्चों की खैर खबर भी नहीं ले सकते?

अपने खर्चे में किफायत कीजिए और बचा पैसा जवानों के लिए दीजिए।

हमारे जवानों द्वारा छीनी गई पाकिस्तानी जीप

इस समय पूरा राष्ट्र परीक्षा की कठिन घड़ियों से गुजरा है, बंगला दे शकी मुक्तिवाहिनी हमारी विजय वाहिनी से मिलकर पाकिस्तान के नापाक इरादों को ध्वस्त कर चुकी है, पर जवानों के प्रति देश के हर इंसान का कुछ कर्त्तव्य है। कर्त्तव्य को निभाने वालों में किसान सबसे आगे रहा है, और अब भी है। आखिर वही है न अन्नदाता! इस धरती के बेटे ने इन शब्दों में भारत मां को याद किया है:

लास्य भी हमने किए और ताडंव भी किए हैं
वंश मीरा और शिव के, विष पिए हैं औ जिए हैं,
दूध मां का या कि चन्दन या कि केसर जो कहो तुम
ये हमारे देश की रज है कि हम इसके लिए हैं।

(दोषी)

निदेशक, प्रकाशक विभाग, सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-1
द्वारा प्रकाशित तथा गंगा प्रिंटिंग प्रैस, मदर बाजार, दिल्ली-6 द्वारा मुद्रित।

पश्चिमी सीमा के पास एक गांव का दृश्य। युद्ध के दौरान जहां हमारे जवान युद्ध के मोर्चे पर शत्रु की कमर ताड़ते रहे वहां पास में ही किसान भी निडर होकर अपने खेतों में काम पर डटे रहे। चित्र में जवान विमानभेदी तोप द्वारा शत्रु के लड़ाकू विमानों को गिराने की ताक में हैं, जबकि पास में ही एक किसान ट्रैक्टर से अपना खेत जोतने में संलग्न है। इससे पता चलता है कि इस युद्ध काल में हमारे जवानों और किसानों ने किस वीरता, धीरता, गम्भीरता और साहस से शत्रु की चुनौती का सामना किया और विजयश्री प्राप्त की। राष्ट्र को अपने इन जवानों और किसानों पर गर्व है।